सत्यमेव जयते

पंचायत आम निर्वाचन, 2021

उम्मीदवारों तथा सरकारी विभागों / कर्मियों के लिए निरूपित

आदर्श आचार संहिता

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार

D:\pm7\Pch_M_code of conduct NN

उद्देश्य

स्वतंत्र, स्वच्छ, पारदर्शी
एवं
जिम्मेदारीपूर्ण निर्वाचन

प्रस्तावना

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के विधिवत् निर्वाचन कराने का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का समय–समय पर स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं स्वच्छ निर्वाचन कराने के लिए कृत संकल्पित है। स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित निर्वाचन कराने की सम्पूर्ण प्रक्रिया में आदर्श आचार संहिता का महत्वपूर्ण स्थान है। आयोग द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश विभिन्न स्तर पर जारी किये गये हैं, जिसमें अभ्यर्थी के सामान्य आचरण, सभाएँ, वाहन, जुलूस आदि के लिए निर्देश का पालन करने की अपेक्षा की गई है।

सभी अभ्यर्थियों को सामान्य आचरण, सभाएं, जुलूस, नाम निर्देशन, कोविड– 19 से संबंधित सावधानियों एवं मतदान के दिन के लिए निर्धारित मापदण्डों का अनुपालन करना चाहिए ताकि सभी अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध समान अवसर में कोई बाधा उत्पन्न न हो।

इसी तरह सभी शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारीगण की भूमिका निर्वाचन को सफलतापूर्वक सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण होती है। निर्वाचन कार्य में लगे शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को न केवल निष्पक्ष होना चाहिए अपितु निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। सामान्यतः निर्वाचन के दौरान शासकीय विभागों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

आदर्श आचार संहिता में उन सभी बातों को शामिल किया गया है, जिनकी जानकारी सभी अभ्यर्थी / शासकीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा लोक प्राधिकारी को होनी चाहिए। आदर्श आचार संहिता की इस लघु पुस्तिका में सम्मिलित अंश किसी न किसी कानून का हिस्सा है, इसलिए इसे सर्वसमावेशी नहीं समझा जाना चाहिए और संबंधित विधि के प्रावधानों, प्रक्रियाओं, नियमों तथा निर्देशों की अद्यतन जानकारी से अवगत होते रहना चाहिए।

आशा है कि यह लघु पुस्तिका निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, शासकीय विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा लोक प्राधिकारियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

शुभकामनाएँ

(डॉ0 दीपक प्रसाद)
राज्य निर्वाचन आयुक्त,
बिहार

पटना, वर्ष 2021

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
भाग - 1	आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की अवधि	1
भाग - 2	अभ्यर्थियों के लिए	1-6
भाग - 3	सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए	7-10
भाग - 4	वैधानिक उपबंध	11-13
भाग - 5	निर्वाचन अपराध एवं भ्रष्ट आचरण	14-20
भाग - 6	1. भ्रष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध के विषय में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधान	21-24
	2. निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में भारतीय दंड संहिता के प्रावधान	25-27
	3. अपराध एवं शास्तियों के विषय में आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधान	28-29
भाग - 7	बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम 1955	30-31
भाग - 8	बिहार सम्पत्ति विरुपण नियंत्रण अधिनियम 1987 (यथा संशोधित 2010)	32-36
भाग - 9	क्या करें व क्या न करें	37-39

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता

भाग – 1

आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने की अवधि–

पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्रों में आर्दश आचार संहिता लागू हो जाएगी एवं संबंधित जिले के अंतिम चरण के विधिवत रूप से परिणाम घोषणा तक यह जारी रहेगा।

भाग – 2

(उम्मीदवारों के लिए)

1– सामान्य आचरण :

(1) किसी भी उम्मीदवार को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लोगों की भावना को ठेस पहुँचे या उनमें विद्वेष या तनाव पैदा हो।

(2) मत प्राप्त करने के लिए धार्मिक, साम्प्रदायिक, जातीय या भाषायी भावनाओं का सहारा नहीं लिया जाना चाहिये।

(3) उपासना के किसी स्थल, यथा मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

(4) किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन के ऐसे पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए जिनका संबंध उसके सार्वजनिक जीवन या क्रियाकलापों से न हो और न ही ऐसे आरोप लगाये जाने चाहिए जिनकी सत्यता स्थापित न हुई हो।

(5) किसी अभ्यर्थी की आलोचना उसकी नीति और कार्यक्रम, पूर्व इतिहास और कार्य तक ही सीमित रहनी चाहिए तथा उसके और उसके कार्यकर्त्ताओं की आलोचना असत्यापित आरोपों पर आधारित नहीं की जानी चाहिए।

(6) प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण घरेलू जीवन के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए, चाहे उसके राजनैतिक एवं धार्मिक विचार कैसे भी क्यों न हों। किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों का विरोध करने के लिए उम्मीदवार या समर्थकों द्वारा ऐसे व्यक्ति के घर के सामने धरना देने, नारेबाजी करने या प्रदर्शन करने जैसे तरीकों का सहारा लेना अथवा ऐसी कार्यवाही का कतई समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

(7) निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व तक की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति न तो सार्वजनिक सभा बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा या उसमें उपस्थित होगा।

(8) उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए जो बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अपराध हों जैसे कि –

(i) ऐसा कोई पोस्टर, इश्तहार, पैम्पलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता न हो,

(ii) किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की सम्भावना पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उसके व्यक्तिगत आचरण और चरित्र या उम्मीदवारी के संबंध में ऐसे कथन या समाचार का प्रकाशन कराना जो मिथ्या हो या जिसके सत्य होने का विश्वास न हो,

(iii) किसी चुनाव-सभा में गड़बड़ी करना या विघ्न डालना,

(iv) मतदाताओं को रिश्वत या किसी प्रकार का पारितोषिक देना,

(v) मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अन्दर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत माँगना,

(vi) मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने या ले जाने के लिए वाहनों का उपयोग करना,

(vii) मतदान/मतगणना केन्द्र में या उसके आसपास आपत्तिजनक या अशोभनीय या विश्रृंखल आचरण करना या मतदान/मतगणना केन्द्र के अधिकारियों के कार्य में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना,

(viii) मतदाताओं का प्रतिरूपण करना अर्थात अपने पक्ष में गलत नाम से मतदान कराने का प्रयास करना।

(9) बिहार सरकार द्वारा सम्पूर्ण बिहार राज्य में शराब बन्दी लागू की गई है। किसी भी उम्मीदवार द्वारा न तो गैर कानूनी शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए। प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकत्ताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।

(10) किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्त्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए। किसी मकान आदि के मालिक द्वारा जोर-जबरदस्ती की सूचना देने पर त्वरित समुचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

(11) पंचायत आम निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवास एवं कार्यालय पर या प्रचार वाहन पर चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर/बैनर आदि का उपयोग किया जा सकता है।

(12) अभ्यर्थी चुनाव प्रचार हेतु अपना कार्यालय भी खोल सकते हैं, परन्तु इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारियों को देंगे कि उनका चुनाव कार्यालय किस स्थान पर अवस्थित है। कार्यालय आदि के खोलने में होने वाला व्यय भी निर्वाचन व्यय की परिधि के अन्दर होगा।

(13) किसी भी उम्मीदवार द्वारा या उसके पक्ष में लगाये गये झण्डे या पोस्टर दूसरे उम्मीदवार या उनके चुनाव क्षेत्र के कार्यकर्त्ताओं द्वारा नहीं हटाये जाने चाहिए।

(14) मतदान शान्तिपूर्वक तथा सुचारू रूप से सम्पन्न कराने में निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग किया जाना चाहिए।

(15) मतदान केन्द्र/मतगणना केन्द्र पर प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले या पहचान-पत्र अवश्य दिया जाना चाहिए।

(16) चूँकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं होना है, इसलिए किसी भी राजनैतिक दल के नाम पर या दल के झण्डा की आड़ में चुनाव प्रचार कार्य नहीं होना चाहिए।

(17) शासकीय/अर्द्धशासकीय परिसदनों, विश्राम गृहों, डाकबंगलों या अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार/चुनाव बैठक के लिए किसी भी उम्मीदवार को नहीं करना चाहिए।

(18) किसी भी सरकारी /सरकार के उपक्रमों के भवन, दीवार तथा चहारदीवारी पर अभ्यर्थी तथा उनके समर्थकों द्वारा

(i) किसी तरह का पोस्टर/सूचना नहीं चिपकाया जाना चाहिए।

(ii) किसी तरह का नारा नहीं लिखा जाना चाहिए।

(iii) किसी तरह का बैनर अथवा झंडा नहीं लटकाया जाना चाहिए।

(19) किसी भी उम्मीद्वार या उनके समर्थकों द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान के लिए नगद अथवा वस्तुओं का वितरण नहीं किया जाएगा और किसी अन्य प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जायेगा।

2- सभाएँ :

(1) किसी हाट, बाजार या भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए तथा स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए ताकि शान्ति और व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आवश्यक प्रबंध कर सके।

(2) सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

(3) प्रस्तावित सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से सभा के पूर्व प्राप्त कर लेनी चाहिये। ध्वनि विस्तारक यंत्र / हैंड माइक का उपयोग सुबह छः बजे से रात्रि दस बजे तक किया जाएगा।

(4) ध्वनि विस्तारक यन्त्र/ हैंड माइक से प्रचार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के अपराह्न पाँच बजे के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा।

(5) बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में ध्वनि विस्तारक यन्त्र / हैंड माइक का उपयोग किये जाने पर सहायक अवर निरीक्षक या उसके ऊपर का कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। इसका उल्लंघन किये जाने पर बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और बादन नियन्त्रण अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

(6) किसी व्यक्ति/ व्यक्तियों द्वारा आम सभा में व्यवधान / विघ्न उत्पन्न करने/ तत्संबंधी प्रयास करने पर आम सभा आयोजकों द्वारा कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारियों की सहायता प्राप्त की जाए, वे स्वयं ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध अपने स्तर से कोई कार्रवाई नहीं करेंगे।

(7) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार द्वारा आयोजित सभा या जुलूस में किसी प्रकार की गड़बड़ी करने या बाधा डालने से अपने कार्यकर्त्ताओं तथा समर्थकों को रोकना चाहिए। यदि दो भिन्न-भिन्न उम्मीदवारों द्वारा पास-पास स्थित स्थानों में सभाएँ की जा रही हों, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों के मुंह विपरीत दिशाओं में रखे जाने चाहिए।

(8) कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

3- नुक्कड सभा

प्रचार हेतु किए जाने वाले नुक्कड सभा की सूचना निर्वाची पदाधिकारी एवं स्थानीय थाना को दी जानी चाहिए। नुक्कड सभा हेतु निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। ऐसे सभाओं में ध्वनि विस्तारक यन्त्र/ हैंड माइक का उपयोग करने हेतु सक्षम पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

4- जुलूस

(1) किसी उम्मीदवार द्वारा जुलूस के आयोजन की स्थिति में जुलूस के आरम्भ होने का स्थल, समय तथा तिथि, जुलूस का मार्ग तथा जुलूस की समाप्ति का स्थल एवं समय पूर्व से निर्धारित किया जायगा तथा

सामान्यतः इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा। जुलूस का आदेश निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

(2) उम्मीदवार को चाहिए कि वह अपने जुलूस उन्हीं मार्गो से ले जायें जिसके लिए उन्हें पूर्व से अनुमति मिली हो। इस क्रम में इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जुलूस के कारण यातायात में कोई बाधा न हो।

(3) जुलूस के आयोजकों द्वारा स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों को तत्संबंधी कार्यक्रम की लिखित सूचना पूर्व में ही दी जायगी ताकि पुलिस द्वारा आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

(4) किसी उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित जुलूस ऐसे क्षेत्र या मार्ग से नहीं निकाला जाना चाहिए, जिसमें कोई निषेधात्मक आदेश प्रशासन द्वारा जारी किया गया हो। अगर ऐसा आदेश लागू हो, तो उसका सख्ती से पालन किया जाय।

(5) जूलूस के आयोजकों द्वारा जुलूस को पार करने हेतु आवश्यक व्यवस्था पूर्व से ही कर ली जाएगी ताकि यातायात बाधित न हो अथवा उसमें कोई विघ्न नहीं हो। यदि जुलूस काफी लम्बा हो तो उसे टुकड़ों में आयोजित करेंगे ताकि सुविधाजनक कालान्तर में सड़क/ चौराहों पर जुलूस गुजर सके तथा उस क्रम में यातायात भी बाधित नहीं हो ।

(6) जुलूस के दौरान कर्तव्य पर उपस्थित पुलिस पदाधिकारी/ कर्मी के निर्देश एवं सुझाव का अवश्य पालन किया जाये।

(7) यदि दो या अधिक उम्मीदवारों द्वारा एक ही मार्ग अथवा मार्गअंश पर एक ही समय जुलूस के आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि जुलूस आपस में नहीं भिड़ने पाये अथवा यातायात बाधित नहीं हो। संतोषजनक व्यवस्था हेतु आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों का सहयोग प्राप्त करेंगे।

(8) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके जुलूस या रैलियों में लोग ऐसी चीजें लेकर न चलें जिनको लेकर चलना प्रतिबंधित हो या जिनका उत्तेजना के क्षणों में दुरूपयोग किया जा सकता हो।

(9) प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन करने से अपने कार्यकर्त्ताओं को रोकना चाहिए।

(10) कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

5- नाम निर्देशन दाखिल करने के दौरान वाहनों का उपयोग :-

नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/ सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा 100 मीटर की परिधि को स्पष्ट रुप से सीमांकित किया जाना चाहिए।

नाम निर्देशन के दौरान सभी अभ्यर्थियों, समर्थकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कोविड-19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा।

6- कोविड-19 संबंधी सावधानियाँ-

वर्तमान समय में देश कोविड-19 से संघर्षरत है। सभी उम्मीद्वारों, उनके समर्थकों एवं निर्वाचन कार्य में संलग्न सभी व्यक्तियों द्वारा कोविड- 19 के संबंध में केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गए दिशा निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया जाएगा। सभी उम्मीद्वारों एवं उनके समर्थकों द्वारा सभाओं, नुक्कड सभाओं एवं जुलुस के दौरान कोविड - 19 के संबंध में समय समय पर निर्गत दिशा-निर्देश का अनुपालन

अनिवार्य होगा। जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नलिखित है-

(1) सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन

(2) प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना

(3) समय समय पर हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग इत्यादि

कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा। कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों के उल्लंघन कि स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, इसके अतिरिक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं अन्य कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत भी कारवाई की जाएगी।

7- मतदान के दिन (सभी उम्मीदवारों/अभ्यर्थियों द्वारा)

(1) चुनाव कार्य में संलग्न पदाधिकारियों को शान्तिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित ढंग से मतदान प्रक्रिया के संचालन तथा मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग स्वतंत्र रूप से बिना किसी व्यवधान के करने में सहयोग प्रदान किया जायगा।

(2) अपने प्राधिकृत कार्यकर्त्ताओं को उपयुक्त बिल्ले/बैज या पहचान-पत्र दिया जायेगा।

(3) मतदाताओं को दी जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज पर होनी चाहिए और उनमें उम्मीदवार का नाम या चुनाव चिह्न नहीं होना चाहिए। पर्ची में मतदाता का नाम, उसके पिता/पति का नाम, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक तथा मतदाता सूची में उसके क्रमांक के अलावा और कुछ नहीं लिखा होना चाहिए।

(4) बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है अतः गैरकानूनी शराब/मादक द्रव्य के वितरण पूर्णतः निषेध है, एवं इसका अनुपालन अनिवार्य है।

(5) मतदान केन्द्र के समीप स्थापित शिविरों में 100 मीटर की दूरी तक अनावश्यक भीड़ जमा नहीं होने दी जाएगी ताकि विभिन्न उम्मीदवारों के समर्थकों के बीच तनाव अथवा झगड़ा को टाला जा सके।

(6) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्याशी का शिविर साधारण हो – किसी प्रकार के पोस्टर, प्रतीक या कोई अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं हो। शिविर में किसी खाद्य पदार्थ की व्यवस्था नहीं की जाएगी या भीड़ जुटाने की अनुमति नहीं होगी।

(7) मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी उम्मीदवार या उनके अभिकर्ता मतदान कोष्ठ में प्रवेश नहीं करेगें।

8- वाहनों के उपयोग की अनुमति के संबंध में

(क) नाम निर्देशन के अवसर पर :- नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निर्वाची पदाधिकारी/सहायक निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय पर जाने वाले अभ्यर्थी की ओर से ऐसे अधिकारी के कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में किसी भी वाहन का प्रवेश वर्जित होगा।

(ख) चुनाव प्रचार अवधि हेतु :- पंचायत आम निर्वाचन 2021 हेतु आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के सदस्य/ग्राम कचहरी के पंच पद के प्रत्याशी को चुनाव प्रचार हेतु मात्र एक यांत्रिक दुपहिया वाहन, मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति के सदस्य पदों के प्रत्याशी को दो यांत्रिक दुपहिया वाहन अथवा एक हल्का मोटर वाहन तथा जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को अधिकतम चार दुपहिया वाहन अथवा दो हल्के मोटर वाहन या दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्का मोटर वाहन अनुमान्य किया गया है।

यान्त्रिक वाहनों की संख्या का निर्धारण निर्वाचन क्षेत्र के विस्तार को ध्यान में रखकर किया गया है।

यान्त्रिक वाहनो से कम समय में अधिक क्षेत्रों का दौरा किया जा सकता है तथा अभ्यर्थी अधिकतर मतदाताओं से सम्पर्क कर सकते हैं। अभ्यथी आयोग द्वारा निर्धारित यान्त्रिक वाहनों के अतिरिक्त गैर यान्त्रिक साधनों, यथा रिक्शा, बैलगाड़ी, घोड़ागाड़ी इत्यादि से भी प्रचार करना चाहते हैं, तो इसकी अनुमति दी जा सकती है, पर अभ्यर्थी को यह बात स्पष्ट रुप से बता दी जानी चाहिए कि रिक्शा आदि पर आने वाला व्यय भी उनके निर्वाचन व्यय में जोड़ दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त जिला परिषद् सदस्य पद के अभ्यर्थी को चार यान्त्रिक दुपहिया वाहन अथवा दो हल्का वाहन के स्थान पर उनके द्वारा अधियाचना किये जाने पर दो दुपहिया वाहन तथा एक हल्के वाहन के उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है।

वाहनों की उक्त अनुमान्यता मात्र चुनाव प्रचार कार्य के लिए है जो मतदान के समय की समाप्ति के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकता है। इस विहत अवधि के पश्चात् किसी अभ्यर्थी अथवा समर्थक द्वारा प्रचार प्रसार हेतु मोटर वाहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है।

(ग) मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण के संबंध में :- प्रत्येक अभ्यर्थी का यह अधिकार है कि वह मतदान के दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र का भ्रमण कर यह देखें कि मतदान की प्रक्रिया सही ढंग से चल रही है तथा उसके समर्थकों/ मतदान अभिकर्त्ताओं को कोई परेशानी नहीं हो रही है। मतदान की तिथि को भ्रमण हेतु विभिनन पदों के प्रत्याशियों को किस संख्या में वाहन के परिचालन की अनुमति दी जाए, इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त आयोग निम्न निदेश है :-

पंचायत निर्वाचन में पदों एवं प्रत्याशियों की संख्या अत्यधिक रहने एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से वाहनों के परिचालन पर स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रभावकारी नियंत्रण रखने की आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में, निम्न प्रकार से यांत्रिक वाहन का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी :-

जिला परिषद् सदस्य	-	एक हल्का मोटर वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिए।
पंचायत समिति सदस्य	-	चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।
मुखिया	-	चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।
सरपंच	-	चालक सहित एक यांत्रिक दुपहिया वाहन सिर्फ अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता के लिए।
ग्राम पंचायत सदस्य	-	कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।
पंच	-	कोई भी यांत्रिक वाहन अनुमान्य नहीं।

स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी अथवा निर्वाचन अभिकर्ता में से किसी एक को ही वाहन का परमिट दिया जाएगा।

वाहन हेतु परमिट/ अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। निर्वाची पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुमति पत्र की मूल प्रति अभ्यर्थी/ निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन के विन्ड स्क्रीन पर चिपकाई जाएगी। परमिट प्राप्त वाहन के अतिरिक्त अभ्यर्थी एवं उसके निर्वाचन अभिकर्ता के द्वारा अन्य किसी भी प्रकार के वाहन का परिचालन वर्जित होगा। बिना परमिट के वाहन का परिचालन किए जाने पर उसे तुरंत जप्त कर लिया जाएगा तथा उक्त अभ्यर्थी को किसी दूसरे वाहन का परमिट नहीं दिया जाएगा। निदेशों की अवहेलना के आरोप में संबंधित अभ्यर्थी पर संगत विधानों के अधीन मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा।

भाग-3
सरकारी विभागों एवं कर्मियों के लिए

क- पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए

1. सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए। जनता को उनकी निष्पक्षता का विश्वास होना चाहिए तथा उन्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे ऐसी आशंका भी हो कि वे किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं।
2. चुनाव के दौरा के समय यदि कोई मंत्री निजी मकान पर आयोजित किसी कार्यक्रम का आमंत्रण स्वीकार कर ले तो किसी सरकारी कर्मचारी को उसमें शामिल नहीं होना चाहिए। यदि कोई निमंत्रण-पत्र प्राप्त हो तो उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार देना चाहिए।
3. किसी सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा के आयोजन हेतु अनुमति देते समय विभिन्न उम्मीदवारों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि एक ही दिन और समय पर एक से अधिक उम्मीदवार एक ही जगह पर सभा करना चाहते हों तो उस उम्मीदवार को अनुमति दी जानी चाहिए जिसने सबसे पहले आवेदन-पत्र दिया है।
4. किसी भी उम्मीदवार को सरकारी भवन या उसके परिसर का उपयोग चुनाव प्रचार/ चुनाव बैठक के लिए करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
5. पंचायत निर्वाचन के क्रम में सरकार के पदधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वे ऐसी शिकायत के लिए अवसर न दें कि उन्होंने चुनाव अभियान के प्रयोजनार्थ अपनी पदीय स्थिति का उपयोग किया है।
6. किसी प्राकृतिक प्रकोप या दुर्घटना को छोड़कर, जिसमें कि प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुँचाना आवश्यक हो, निर्वाचन की घोषणा से लेकर मतदान समाप्त होने तक की अवधि के दौरान पंचायत के किसी पदधारी (जैसे कि अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष आदि) के क्षेत्रीय भ्रमण को चुनावी दौरा माना जाना चाहिए और ऐसे दौरे में पंचायत के किसी कर्मचारी को उनके साथ नहीं रहना चाहिए।

ख- सरकारी विभागों के लिए-

1. सरकारी सेवकों का पदस्थापन/स्थानान्तरण

(i) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत), अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा मनोनीत उप निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) के स्थानान्तरण पर पाबन्दी रहेगी।

(ii) निर्वाचन कार्य से जुड़े अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर भी रोक रहेगी।

(iii) निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त किये जाने योग्य पदाधिकारियों / कर्मचारियों (शिक्षक सहित) आदि के पदस्थापन / स्थानान्तरण पर रोक रहेगी।

(iv) मेडिकल/ पारा मेडिकल तथा आपातकालीन सेवाओं से जुड़े पदाधिकारियों / कर्मचारियों के पदस्थापन/ स्थानान्तरण को इस आदेश से मुक्त रखा गया है।

(v) पंचायत क्षेत्र में किसी प्रकार के व्यवसाय या वृत्ति के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दी जानी चाहिए।

टिप्पणी:- 1. यदि प्रशासनिक दृष्टि से चुनाव से जुड़े पदाधिकारियों/ कर्मचारियों का पदस्थापन / स्थानान्तरण आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी पूर्वानुमति राज्य निर्वाचन आयोग से अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

2. उपरोक्त पाबन्दी संबंधित जिलों में जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी के निर्वाचन की घोषणा प्रपत्र 5 में किए जाने से लेकर निर्वाचन परिणाम की विधिवत घोषणा होने तक लागू रहेगी।

ग. शासन और संस्थाओं के वाहन आदि के उपयोग पर प्रतिबंध :

(1) सरकार सहित सार्वजनिक उपक्रमों/ प्राधिकरणों, स्थानीय निकायों, सहकारी संस्थाओं, कृषि उपज मंडियों या सरकार से अनुदान अथवा अन्य सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के वाहनों का उपयोग किसी उम्मीदवार के हित को आगे बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे वाहनों को उनके नियंत्रक अधिकारियों द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने की तारीख तक, मंत्रिगण, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, पंचायतों के पदधारकों या उम्मीदवारों को उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।

(2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों के सहित किसी भी व्यक्ति के द्वारा चुनाव कार्य अथवा चुनाव सम्बन्धी यात्रा के लिए सरकारी वाहनों के उपयोग पर भुगतान के आधार पर भी, पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। परन्तु उपर्युक्त व्यक्तियों द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग सरकारी कार्य के दौरान किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी परिस्थिति में सरकारी कार्यो के साथ चुनाव कार्य जोड़ा नहीं जायेगा।

(3) ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यो के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन के माध्यम से करते हों, तो पूरे दौरा को चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न किया गया माना जाएगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

(4) सरकार के द्वारा भाड़े पर लिए गए वाहनों पर भी सरकारी वाहन की तरह यह प्रतिबंध लागू रहेगा।

घ. विकास योजनाओं का क्रियान्वयन

(i) नवीन योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर रोक–

(1) पंचायत राज संस्थाओं द्वारा क्रियान्वित योजनाऐं मुख्य रुप से निम्नलिखित है, जिनमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की अहम भूमिका है एवं जिनका चयन/ क्रियान्वयन ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, तथा जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है-

- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना
- मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना
- 15 वें वित्त आयोग में प्राप्त निधि से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाऐं
- ग्रामीण क्षेत्र में सोलर स्ट्रीट लाईट योजना
- केन्द्र/ राज्य सरकार की कोई ऐसी योजना जिसके चयन/ क्रियान्वयन में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से भूमिका है,

उक्त योजनाएँ यदि पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरु हो गया है उन पर रोक नहीं है लेकिन नये सिरे से उक्त योजनाओं की स्वीकृति एवं पूर्व से भी स्वीकृत परंतु जिस योजना पर कार्य प्रारम्भ अब तक नहीं किया गया हो उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

(2) **उक्त योजनाओं के साथ साथ अन्य सभी नई योजनाऐं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित जिनमें पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधियों कि प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका हो, को भी उपर्यक्त सिद्धांत के आधार पर प्रारम्भ / क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा।**

(3) विकास योजनाओं से तात्पर्य राज्य के विकास की सामान्य योजनाओं से है, न कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित विकास योजनाओं से। ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य योजनाओं से मतलब सड़क, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युतीकरण, महिला एवं बाल कल्याण इत्यादि से संबंधित योजनाओं से है। किसी विशेष समुदाय के लिए छात्रावास, विद्यालय भवन निर्माण या अन्य प्रकार की कल्याणकारी योजनाएँ सामान्य विकास योजनाओं के तहत नहीं आयेंगी तथा निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी योजनाओं के क्रियान्वयन, शिलान्यास अथवा उद्घाटन पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी।

(4) बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी केन्द्रों की सेविका और सहायिका के चयन, जिसमें ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रत्यक्ष भुमिका होती है, पर प्रतिबंध रहेगा।

(5) सांसद एवं विधायक निधि से नये योजनाओं की स्वीकृति एवं उनके कार्यान्वयन पर पाबन्दी रहेगी। किन्तु पंचायत की योजनाएं जो पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरु हो गया है उन पर रोक नहीं होगी। पूर्व से स्वीकृत योजना एवं जिस पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया हो उन योजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने पर पूर्णतः रोक रहेगा।

(6) जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) सह जिला पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना निर्गत करने की तारीख से विधिवत परिणाम की घोषणा होने तक संबंधित जिला में मंत्रियो, संसद सदस्यों या राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा किसी पंचायत क्षेत्र में, जहाँ कि चुनाव होने वाले हों, स्वेच्छानुदान राशि, जनसम्पर्क निधि से कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही किसी सहायता या अनुदान का आश्वासन दिया जाना चाहिए। इस अवधि के दौरान किसी योजना का शिलान्यास या उद्घाटन भी नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) योजनाएं जिनपर रोक नहीं है–

(1) राष्ट्रीय उच्च पथ एवं राज्य के मुख्य पथों पर कार्य कराने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(2) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के अन्तर्गत पूर्व से चल रही योजनाओं के कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

निबंधित लाभार्थियों के लिए वैसी नई योजनाएँ निर्वाची पदाधिकारी को सूचना देते हुए आरम्भ की जा सकती हैं जो स्वीकृत योजनाओं की सूची में (shelf of projects) पूर्व से सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पूर्व से निधि कर्णांकित (earmarked) कर दी गयी है एवं क्षेत्र में मजदूर की माँग है। जबतक चालू योजनाओं में कार्य दिया जा सकता है तबतक कोई नई योजना सक्षम प्राधिकार द्वारा आरम्भ नहीं की जा सकेगी। shelf of projects की अनुपलब्धता अथवा इसमें उपलब्ध सभी योजनाओं के समाप्त हो जाने की स्थिति में संबंधित सक्षम प्राधिकार जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) से नई योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य आरम्भ कर सकता है।

(3) अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं आदि से स्वीकृत वित्तीय सहायता के आधार पर योजनाओं की स्वीकृति तथा उनके कार्यान्वयन पर कोई पाबन्दी नही रहेगी।

(4) आपात योजनाएँ यथा बाढ निरोधक योजनाओं, सुखा अथवा अभावग्रस्त क्षेत्र से संबंधित योजनाओं आदि को पंचायत निर्वाचन की अवधि में प्रारंभ करने में कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(5) सरकारी कार्यालयों के आधुनिकीकरण (जिसमें कम्प्यूटर तथा अन्य मॉडर्न गजट (Gadget) आदि चालू करना शामिल है) आदि पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(6) विकास योजनाओं से संबंधित निविदा आमंत्रित करने या उसके निस्तारण पर कोई पाबन्दी नहीं रहेगी।

(7) केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाऐं जिसके क्रियान्वयन में पंचायत राज संस्था की भूमिका नहीं है उस पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगा।

(ङ) सरकारी विज्ञापन

पंचायती राज संस्थाओं (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत) द्वारा सरकारी खर्च पर समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में किसी प्रकार के विज्ञापन का प्रकाशन नहीं कराया जाएगा।

(च) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मंत्रियों/विधायकों/सांसदों की यात्रा –

1. केन्द्र / राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा की जाने वाली सरकारी यात्रा और चुनावी यात्रा बिल्कुल अलग अलग होगीं। दोनों यात्राओं को एक साथ नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है जबकि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के मंत्री जिला मुख्यालय या क्षेत्रीय स्तर के अन्य कार्यालयों तक सरकारी कार्यो के सिलसिले में दौरे पर जाने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग करते हों और तत्पश्चात् चुनाव कार्य हेतु स्थानीय दौरा किसी निजी वाहन के माध्यम से करते हों, तो पूरे दौरा को चुनाव कार्य हेतु सम्पन्न किया गया माना जाएगा। अर्थात किसी भी परिस्थिति में सरकारी यात्रा तथा चुनाव कार्य हेतु यात्रा एक ही साथ करने के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
2. केन्द्र अथवा राज्य सरकार के मंत्री, सांसद या विधायक किसी प्रत्याशी या मतदाता या प्राधिकृत अभिकर्ता के रुप में अपनी हैसियत के सिवाय मतदान केन्द्र अथवा मतगणना स्थल में प्रवेश नहीं करेगें।
3. मतदाता के रुप में मतदान हेतु जाने के लिए मंत्रियों, सांसदों या विधायकों की सुरक्षा हेतु सरकार की ओर से प्रतिनियुक्त सशस्त्र बल का वे इस्तेमाल कर सकेगें। प्रतिनियुक्त अंगरक्षक/सशस्त्र बल मतदान केन्द्र परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि मतदान केन्द्र परिसर के बाहर मंत्री/सांसद/विधायक की वापसी की प्रतीक्षा करेंगे।
4. शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई ऐसी तदर्थ नियुक्ति, जो किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतों को प्रभावित करें, नहीं करेगें।
5. किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय या राज्य सरकार के मंत्री/लोक उपक्रमो के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सांसद/विधायक/राजनीतिक दलों के पदधारक को परिसदन/निरीक्षण भवन आदि का उपयोग निर्वाचन सम्बन्धी आम सभा का आयोजन/चुनाव प्रचार अभियान हेतु करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

भाग-4

वैधानिक उपबन्ध

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्तियों पर कार्रवाई करने हेतु उपलब्ध वैधानिक उपबन्ध

1. धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा फैलाना/बढ़ाना।	(i) बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 130 (1) (ii) 153 ए भा.द.सं. (iii) भा.द.सं. की धारा 505
2. अन्य अभ्यर्थियों की आलोचना करते समय उनकी नीतियों/कार्यक्रमों की ही आलोचना करनी है। ऐसे पहलुओं पर आलोचना न की जाय जिसका संबंध उनके सार्वजनिक जीवन से हो एवं उसकी सत्यता स्थापित न हो।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (जी)
3. निर्वाचन प्रचार के लिए मस्जिदों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का प्रचार मंच के रूप में करना एवं जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई देना।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153 ए (2)
4. मत प्राप्त करने हेतु भ्रष्ट आचरण अपनाकर मतदाताओं को रिश्वत देना – मतदाताओं को अभित्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण करना मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत-याचना करना एवं मतदान समाप्त होने के 48 घंटा के अन्दर सार्वजनिक सभा करना, मतदान केन्द्र तक अपने सवारी से मतदाता को ले जाना।	(i) बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 141 (i) (ii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(ई) (iii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171(एफ) (iv) बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 130(2)
5. किसी भी व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और विघ्न रहित घरेलू जिन्दगी के अधिकार में दखल देने हेतु उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करना एवं धरना देना।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143
6. किसी भी अभ्यर्थी को ध्वजदंड बनाने, ध्वज टांगने, सूचनाएँ चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि का उनकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुज्ञा अपने अनुयायियों को नहीं देना चाहिए।	(i) धारा-3, सम्पत्ति विरूपण निरोध अधिनियम, 1987 (ii) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 426
7. किसी भी अभ्यर्थी अथवा उनके समर्थकों द्वारा अन्य	बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 130(3)

अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित जुलूस/ सभा में बाधा उत्पन्न करना या गड़बड़ी करना वर्जित है। किसी अभ्यर्थी का जुलूस उस स्थान से नहीं जाय जहाँ दूसरे अभ्यर्थी के द्वारा सभा की जा रही हो; एक अभ्यर्थी के पोस्टर को दूसरे अभ्यर्थी के कार्यकत्ताओं द्वारा नहीं हटाया जाएगा।

यदि गड़बड़ी करने वाला व्यक्ति अपना नाम पता बताने से इन्कार करे या गलत पता बताए या पुलिस पदाधिकारी को इसका संदेह हो कि नाम पता गलत बता रहा है, तो उसे बिना वारन्ट गिरफ्तार कर सकते हैं।

सभायें :-

1. अगर किसी स्थान पर पूर्व से निर्वन्धात्मक या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हो तो वैसे स्थान पर किसी अभ्यर्थी की प्रस्तावित सभा या जुलूस के लिए पूर्वानुमति लेनी है। साथ ही अनुमति मिलने पर समय एवं स्थान की सूचना स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को ऐसे आयोजन के पूर्व देनी है। — भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188/ 143

2. बिना अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त किये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रस्तावित सभा एवं जुलूस में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। इस अधिनियम का कोई उल्लंघन करता है तो स.अ.नि. या उसके ऊपर कोई पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकता है। — बिहार ध्वनि विस्तारक उपयोग और वादन नियंत्रण अधिनियम, 1955 की धारा 9

   चुनाव के दिन मतदान केन्द्र के ईर्द-गिर्द लाउडस्पीकर, मेगाफोन इत्यादि का उपयोग निषेध है। — बि.प.रा.अ., 2006 की धारा 130(8)

जुलूस :-

1. किसी भी निर्बन्धात्मक आदेश के अध्यधीन स्थान या मार्ग से जुलूस निकालने के पूर्व किसी भी अभ्यर्थी को पूर्व में ही अनुज्ञा या अनुज्ञप्ति प्राप्त करना है। अनुज्ञा प्राप्त होने पर जुलुस निकालने के पूर्व इसके संबंध में पूरी सूचना पुलिस को देना है। — 147/ 148/ 188/ 143 भारतीय दण्ड संहिता; 32 पुलिस एक्ट

2. यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहे, तो संयोजक आपस में निर्णय कर टकराव रोकने के उपायों का विनिश्चय कर लेंगे तथा सभी पक्षकार यथाशीघ स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करेंगे। — 30-32 पुलिस एक्ट

3. ऐसे किसी भी जुलूस में कोई भी व्यक्ति ऐसी कोई चीज लेकर नहीं चलेगा जिनका अवांछनीय तत्वों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के क्षणों में दुरुपयोग किया जा सकता है। — 32 पुलिस एक्ट

मतदान दिवस –

1. मतदान के दिन कोई भी शान्तिपूर्ण मतदान में व्यवधान नहीं पहुँचायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341/ 350/ 171(एफ)
अभ्यर्थी निर्वाचन कर्त्तव्य पर लगे अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देंगे।	बि.पं.रा.अ. 2006 की धारा 130(9)
2. सभी अभ्यर्थी अपने प्राधिकृत कार्यकर्ताओं को उपयुक्त पहचान पत्र या बिल्ला देंगे, मतदाताओं को दी गयी परची आदि सफेद कागज पर देंगे जिसपर कोई प्रतीक चिह्न या अभ्यर्थी का नाम नहीं हो; मतदान के 24 घंटा पूर्व से ही किसी भी व्यक्ति को शराब पेश नहीं किया जायेगा या वितरित नहीं किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 290
3. मतदान के दिन वाहनों को अवैध रूप से किराए पर लेना या उपयोग करना वर्जित है।	बि.पं.रा.अ. 2006 की धारा 130 (11)

अन्यान्य –

1. सरकारी वाहन, मशीनरी एवं कार्मिकों का किसी के हित को बढ़ावा देने के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (सी)
2. सार्वजनिक स्थान जैसे मैदान में चुनाव सभा आयोजित करने में किसी का एकाधिकार नहीं होगा, ऐसे स्थानों का उपयोग, सभी द्वारा समान विहित शर्त्तों पर किया जायेगा।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (सी)
3. विश्राम गृहों, डाक बंगलों या अन्य सरकारी बंगलों का उपयोग निष्पक्ष ढ़ंग से सभी द्वारा किया जायेगा एवं ऐसे सरकारी आवासों एवं परिसरों का उपयोग चुनाव कार्यालय या चुनाव प्रचार अथवा चुनाव सभा करने के लिए वर्जित है।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)
4. निर्वाचन अवधि में प्रचार निष्पक्ष ढ़ंग से करने के लिए सरकारी खर्च से समाचार पत्रों में कोई ऐसा समाचार या विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया जाएगा जिसमें किसी की उपलब्धियाँ दिखाकर उन्हें लाभ पहुँचाया जा सके।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)
5. मंत्री एवं अन्य अधिकारी किसी भी रूप में कोई वित्तीय मंजूरी या वचन की घोषणा नहीं करेंगे। किसी प्रकार की परियोजना अथवा स्कीम की आधारशीला नहीं रखेंगे, सड़क निर्माण, पीने का पानी की सुविधा आदि की घोषणा नहीं करेंगे; सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम में कोई तदर्थ नियुक्ति नहीं की जायेगी।	भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171 (एफ)

भाग–5

निर्वाचन अपराध

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 130– (1) निर्वाचन के सिलसिले में वर्गो के बीच शत्रुता बढ़ाना – कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचन के संबंध में भारत के नागरिकों को विभिन्न वर्गो के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावनाओं को बढ़ाता है या बढ़ाने का प्रयास करता है, तो वह तीन वर्षों तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।

(2) मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध –

(i) कोई भी व्यक्ति -

(क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा;

(ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा; या

(ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी चुनाव विषयक मामले का प्रचार नहीं करेगा।

(ii) ऐसा कोई व्यक्ति जो उप-धारा (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षों तक के कारावास या जुर्माने से या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(iii) इस धारा में, अभिव्यक्ति ``चुनाव मामले" से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणनित कोई मामला।

(3) निर्वाचन सभा में बाधा –

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी सार्वजनिक सभा में, जिस पर यह धारा लागू होती है, जिस प्रयोजन के लिए सभा बुलाई गई है, उसके कार्य संव्यवहार को निवारित करने के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करता है या किसी अन्य को इसके लिए भड़काता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से; या दोनों से, दण्डनीय होगा।

खण्ड (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यह धारा सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए इस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना जारी करने की तिथि और निर्वाचन की तिथि के मध्य किसी निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित राजनीतिक प्रकृति की किसी आम सभा पर लागू होती है।

(3) यदि कोई पुलिस अधिकारी खंड (1) के अंतर्गत अपराध करने के लिए किसी व्यक्ति पर पर्याप्त रुप से संदेह करता है, यदि सभा के सभापति द्वारा ऐसा करने के लिए अनुरोध किया जाये, तो वह उस व्यक्ति से अपना नाम और पता तुरन्त घोषित करने की अपेक्षा कर सकता है, और यदि वह व्यक्ति अपने नाम और पते घोषित करने से इंकार करता है या नहीं करता है, या यदि पुलिस अधिकारी उस पर गलत नाम या पता देने के लिए पर्याप्त रुप से संदेह करता है, तो पुलिस अध्किारी वारन्ट के बिना उसे गिरफ्तार कर सकता है।

(4) **पुस्तिकाओं, पोस्टरों, इत्यादि के मुद्रण पर प्रतिबंध –** (1) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा या मुद्रित या प्रकाशित नहीं करायेगा, जिसके मुख्य भाग पर मुद्रक और उसके प्रकाशक के नाम और पते नहीं हो

(2) कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को तब तक मुद्रित नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करायेगा -

(क) जब तक कि उसके प्रकाशक की पहचान के लिए घोषणा, उसके द्वारा हस्ताक्षरित और दो ऐसे व्यक्तियों द्वारा अभिप्रमाणित, जो उसे व्यक्तिगत रुप से जानते हैं, डुप्लीकेट में मुद्रक को उसके द्वारा परिदत नहीं की जाये, और

(ख) जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात युक्तियुक्त समय के भीतर, घोषणा की एक प्रति, दस्तावेज की एक प्रति के साथ मुद्रक द्वारा नहीं भेजी जाए-

(i) जब यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हो तो राज्य निर्वाचन आयोग को, और

(ii) किसी अन्य मामले में, उस जिले के जिला दंडाधिकारी को जिसमें यह मुद्रित किया गया है।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) हाथ द्वारा इसकी प्रतियाँ करने के अलावा दस्तावेज की अनेकानेक प्रतियाँ बनाने की किसी भी प्रक्रिया को मुद्रण माना जायेगा और तद्नुसार अभिव्यक्ति `मुद्रक` की व्याख्या की जायेगी; और

(ख) `निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर" से अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह के निर्वाचन को संप्रवर्तित करने या प्रभावित करने के प्रयोजन के लिए वितरित कोई मुद्रित पुस्तिका, पर्चा या अन्य दस्तावेज या निर्वाचन से संबंध रखने वाला कोई प्लेकार्ड या पोस्टर अभिप्रेत है, लेकिन इसमें निर्वाचन अभिकर्ताओं या कार्यकर्ताओं के दैनिक निर्देशें या निर्वाचन सभा की तिथि, समय, स्थान और अन्य विशिष्टियों को घोषित करने वाला कोई पर्चा, प्लेकार्ड या पोस्टर शामिल नही होंगे।

(4) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) या खंड (2) के अधीन किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास या दो हजार रुपये के जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(5) **मतदान की गोपनीयता बनाए रखना –**

(1) प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, अभिकर्त्ता या अन्य व्यक्ति, जो निर्वाचन में मतों की गणना उसके अभिलेखन करने के संबंध में किसी कर्तव्य का पालन करता है, मतों की गोपनीयता बनाये रखेगा, और बनाए रखने में सहायता करेगा और किसी व्यक्ति को (किसी विधि द्वारा या उसके अधीन अधिकृत्य किसी प्रयोजन के अलावा) गणना से संबंधित कोई सूचना संसूचित नहीं करेगा जिससे इसकी गोपनीयता भंग होगी।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(6) **निर्वाचनों में अधिकारी आदि अभ्यर्थियों के लिए कार्य नहीं करेगें या मतदान को प्रभावित नहीं करेंगें–**

(1) कोई भी व्यक्ति जो निर्वाचन के संबंध में किसी कर्तव्य के पालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) या निर्वाची पदाधिकारी, या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या निर्वाचन में पीठासीन या मतदान अधिकारी, या निर्वाची पदाधिकारी या पीठासीन अधिकारी द्वारा नियुक्त अधिकारी या लिपिक है, निर्वाचन के प्रबंध या संचालन में किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए कार्य (मत

देने के अलावा) नहीं करेगा।

(2) यथा उपर्युक्त कोई भी व्यक्ति, और पुलिस बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित प्रयास नहीं करेगा-

(क) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत देने के लिए प्रेरित करना; या

(ख) निर्वाचन में किसी व्यक्ति को उसका मत न देने के लिए प्रेरित करना; या

(ग) किसी निर्वाचन में किसी व्यक्ति के मतदान पर किसी तरीके से असर डालना।

(3) कोई व्यक्ति जो खंड (1) ये खंड (2) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, छः माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(4) खडं (3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(7) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक प्रचार का प्रतिषेध –

(1) कोई व्यक्ति ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र पर मतदान होता हो, मतदान केन्द्र के भीतर या किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, जो मतदान केंद्र के एक सौ मीटर की दूरी के भीतर है, निम्नलिखित में से किसी कार्य को नहीं करेगा, यथा

(क) मतों के लिए प्रचार; या

(ख) किसी निर्वाचक से मत की याचना करना; या

(ग) किसी अभ्यर्थी विशेष को मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(घ) निर्वाचन में मत नहीं देने के लिए किसी निर्वाचक को प्रेरित करना; या

(ङ) निर्वाचन से संबंधित किसी सूचना या संकेत (शासकीय सूचना के अलावा) को प्रदर्शित करना।

(2) कोई व्यक्ति जो खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह स्थानीय अधिकारिता वाले किसी दण्डाधिकारी द्वारा पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(3) इस उप धारा के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(8) मतदान केन्द्रों में या उसके नजदीक विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति –

(1) कोई व्यक्ति, ऐसी तिथि या तिथियों को, जिसमें किसी मतदान केन्द्र मतदान पर होता है-

(क) मतदान केन्द्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में, मानव ध्वनि के प्रवर्धन या प्रत्युत्पादन करने के लिए मेगाफोन या लाउडस्पीकर जैसा उपकरण का न तो उपयोग करेगा या न चलायेगा या

(ख) मतदान केंद्र के भीतर या प्रवेश द्वार पर, या उसके पड़ोस में किसी सार्वजनिक या निजी स्थान में विच्छृंखल तरीके से नहीं चिल्लायेगा या अन्यथा कार्य नहीं करेगा, जिससे कि मतदान के लिए मतदान केंद्र जाने वाले किसी व्यक्ति को क्षोभ हो या जिससे मतदान केन्द्र के कर्त्तव्य पर अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों के कार्य में हस्तक्षेप हो,

(2) कोई व्यक्ति, जो खंड (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उसके लिए जानबूझकर सहायता करता है या दुष्प्रेरण करता है, तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डनीय होगा।

(3) यदि पीठासीन अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति इस धारा के अतंगर्त दण्डनीय अपराध कर रहा है यह कर चुका है, तो वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित कर सकता है, और उसके बाद पुलिस अधिकारी उसे गिरफ्तार कर लेगा।

(4) कोई भी पुलिस अधिकारी ऐसा कोई कदम उठा सकता है, और बल का प्रयोग कर सकता है, जो उप धारा (1) के उपबंधों के उल्लंघन को रोकने के लिए युक्तियुक्त रुप से आवश्यक हो, और इस उल्लंघन में प्रयुक्त उपकरण को जब्त कर सकता है।

(9) **मतदान केंद्र पर अवचार के लिए शास्ति–**

(1) कोई व्यक्ति जो मतदान के लिए नियत समय के दौरान किसी मतदान केंद्र में, पीठासीन अधिकारी के विधिपूर्ण निर्देशों का पालन नहीं करता है या स्वयं अवचार करता है, तो उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा या कर्तव्य पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या उस पीठासीन अधिकारी द्वारा इस निमित अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान केन्द्र से हटाया जा सकेगा।

(2) खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जायेगा, जिससे कि किसी निर्वाचक को, जो मतदान केन्द्र में मत देने के लिए अन्यथा हकदार है, उसे केन्द्र में मत देने के अवसर नही प्राप्त हो सके।

(3) यदि कोई व्यक्ति, जिसे मतदान केन्द्र से हटा दिया गया हो, पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना मतदान केन्द्र में पुनः प्रवेश करता है, तीन माह के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(4) खंड (3) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(10) **मतदान की प्रक्रिया के पालन में विफलता के लिए शास्ति –** यदि कोई निर्वाचक, जिसे मत पत्र जारी किया गया हो, मतदान के लिए विहित प्रक्रिया का पालन करने से इंकार करता है तो, उसे जारी मत पत्र रद्द कर दिया जायेगा।

(11) **निर्वाचनों में वाहनों को अवैध रुप से किराये पर लेने या उपाप्त करने के लिए शास्ति–** यदि कोई व्यक्ति निर्वाचन में या निर्वाचन के संबंध में धारा 141 के खण्ड (5) में यथविनिर्दिष्ट किसी भ्रष्ट आचरण का दोषी हो, तो वह तीन माह तक के कारावास और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(12) **निर्वाचनों के संबंध में पदीय कर्तव्य का भंग –**

(1) यदि कोई व्यक्ति, जिसपर यह धारा लागू होती हो, अपना पदीय कर्त्तव्य-भंग करते हुए बिना युक्तियुक्त कारण के किसी कार्य या लोप का दोषी हो तो वह पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(1-क) खंड (1) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(2) यथापूर्वोक्त ऐसे किसी कार्य या लोप के बाबत क्षति के लिए ऐसे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

(3) यह धारा जिला निर्वाचन पदाधिकारियों (पंचायत), निर्वाची पदाधिकारियों, सहायक निर्वाची पदाधिकारियो, पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारियों एवं नामनिर्देशन पत्र प्राप्त करने या अभ्यर्थिता की वापसी या मतदान लेने अथवा मतगणना करने हेतु नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति पर लागू होगी और अभिव्यक्ति "पदीय कर्त्तव्य" की व्याख्या इस धारा के प्रयोजनार्थ तदनुसार की जायेगी, लेकिन अधिनियम द्वारा या इसके अंतर्गत निर्धारित कर्त्तव्यों से अन्यथा अधिरोपित कर्त्तव्य इसमें शामिल नहीं होंगे।

(13) **निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रुप में कार्य करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए शास्ति** - यदि सरकारी सेवारत कोई व्यक्ति निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता या मतदान अभिकर्ता या गणना अभिकर्ता के रुप में कार्य करता है, तो वह तीन माह तक के कारावास, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(14) **मतदान केन्द्र में उसके नजदीक शस्त्र लेकर जाने पर प्रतिबंध –**

(1) मतदान केन्द्र में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी और नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति, जो मतदान केन्द्र

में कर्त्तव्य पर है, मतदान के दिन मतदान केन्द्र के पास आयुध अधिनियम 1959 (1959 का सं 54) में यथा परिभाषित, किसी प्रकार के सशस्त्र लेकर नहीं जायेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति खंड (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो वह दो वर्षो तक के कारावास या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) आयुध अधिनियम, 1959 (1959 का सं. 54) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहाँ कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध का सिद्वदोष हो, उसके कब्जे में उक्त अधिनियम में यथा परिभाषित शस्त्र पाया गया हो तो जब्त कर लिया जाएगा और उन शस्त्रों के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति को उस अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत प्रतिसंहरित माना जायेगा।

(4) खंड (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(15) मतदान केन्द्र से मत पत्रों को हटाना अपराध होगा–

(1) कोई व्यक्ति, जो किसी निर्वाचन में मतदान केन्द्र से मतपत्र को अनधिकृत्य रुप से लेता है या लेने का प्रयास करता है, या किसी ऐसे कार्य को करने में जानबुझ कर सहायता करता है या करने के लिए दुष्प्रेरित करता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास या पाँच सौ रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(2) यदि मतदान केन्द्र के पीठासीन अधिकारी को ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि कोई व्यक्ति खंड (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कर रहा है या कर चुका है, तो वह अधिकारी उस व्यक्ति के मतदान केन्द्र छोड़ने से पहले गिरफ्तार कर सकता है या उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए आरक्षी अधिकारी को निदेश दे सकता है और उस व्यक्ति की तलाशी ले सकेगा या किसी आरक्षी अधिकारी द्वारा उसकी तलाशी करवा सकेगाः

परन्तु जब किसी महिला की तलाशी लेना आवश्यक हो, तो मर्यादा का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा तलाशी ली जायेगी।

(3) गिरफ्तार व्यक्ति की तलाशी पर पाये गये किसी मतपत्र को पीठासीन अधिकारी द्वारा पुलिस अधिकारी को निरापद अभिरक्षा के लिए दिया जायेगा, या जब तलाशी पुलिस अधिकारी द्वारा की जाये, तो उसे स्वयं अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा।

(4) खंड (1) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(16) मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध–

(1) जो कोई मतदान केन्द्र कब्जा करने का अपराध करता है, उसे ऐसे कारावास से, जो एक वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे तीन वर्षो तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से दण्डनीय होगा, और जहाँ ऐसा अपराध सरकारी सेवारत व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो वह ऐसे कारावास से, जो तीन वर्षो से कम नहीं होगा लेकिन जिसे पाँच वर्षो तक बढाया जा सकेगा, और जुर्माने से दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण – (1) इस खंड (XXX) के प्रयोजनों के लिए `मतदान केन्द्र कब्जा" में अन्य चीजों के साथ निम्नलिखित सभी या कोई भी गतिविधियाँ शामिल है, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को मतदान प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और कोई ऐसा अन्य कार्य करना जो निर्वाचनों के सुव्यवस्थित संचालन को प्रभावित करता है,

(ख) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान का कब्जा करना; और केवल अपने समर्थकों को मताधिकार के प्रयोग करने की अनुमति देना और दूसरे को मत देने से रोकना।

(ग) किसी निर्वाचक को अपना मत देने के लिए मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान जाने से रोकना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से उत्पीड़ित करना या अभित्रास या धमकी देना;

(घ) किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मतगणना स्थान का कब्जा करना, मतपत्रों या मतदान मशीनों को गणना प्राधिकारियों से अभ्यर्पित कराना और ऐसा कोई अन्य कार्य जो व्यवस्थित रुप से गणना करने से प्रभावित करें;

(ङ) अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए सरकारी सेवारत किसी व्यक्ति द्वारा पूर्वोक्त कार्यों में से सभी या कोई कार्य करना, या करने में सहायता या मौन अनुमति देना।

(2) खंड (1) के अंर्तगत दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

(17) **अन्य अपराध और उसके लिए शास्तियां** – (1) कोई व्यक्ति निर्वाचन अपराध का दोषी होगा, यदि किसी निर्वाचन में वह-

(क) किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्वक विरुपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(ख) निर्वाची अधिकारी के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन लगायी गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरुपित, नष्ट या हटाता है; या

(ग) डाक मत-पत्र द्वारा मत डालने के संबंध में प्रयुक्त शासकीय लिफाफे या पहचान की किसी घोषणा या किसी मत पत्र पर शासकीय चिन्ह या किसी मत पत्र को कपटपूर्वक विरुपित करता है या कपटपूर्वक नष्ट करता है; या

(घ) सम्यक् प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति को किसी मतपत्र की आपूर्ति करता है या किसी व्यक्ति से कोई मतपत्र प्राप्त करता है या उसके कब्जे में कोई मतपत्र हो या

(ङ) मतपत्र जिसे डालने के लिए वह विधितः अधिकृत्य है से भिन्न किसी वस्तु को किसी मतपेटी में कपटपूर्वक डालता हो; या

(च) आवश्यक प्राधिकार के बिना, निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए तब प्रयुक्त किसी मतपेटी या मतपत्रों के नष्ट करता हो, ले जाता हो, खोल देता हो या अन्यथा हस्तक्षेप करता हो; या

(छ) उपर्युक्त किन्हीं कार्यो को करने का कपटपूर्वक या यथास्थिति आवश्यक प्राधिकार के बिना, प्रयास करता हो या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जानबुझ कर सहायता करता हो या उत्प्रेरित करता हो।

(2) इस धारा के अधीन निर्वाचन विषयक अपराध का दोषी कोई व्यक्ति -

(क) यदि वह निर्वाची पदाधिकारी या सहायक निर्वाची पदाधिकारी या मतदान केन्द्र पर पीठासीन अधिकारी हो या निर्वाचन के संबंध में शासकीय कर्त्तव्य पर नियोजित कोई अन्य अधिकारी या लिपिक हो, तो दो वर्षो तक के कारावास से या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा;

(ख) यदि वह कोई अन्य व्यक्ति हो तो छः माह तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी व्यक्ति को शासकीय कर्त्तव्य पर माना जायेगा, यदि उसका कर्त्तव्य किसी निर्वाचन के या निर्वाचन के अंग के संचालन में भाग लेना होगा और इसमें मतगणना भी शामिल है या निर्वाचन के पश्चात् मतपत्रों और ऐसे निर्वाचन से जुड़े अन्य कागजात के लिए जिम्मेवार होगा। अभिव्यक्ति `` शासकीय कर्त्तव्य" में इस अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत अन्यथा अधिरोपित कोई कर्त्तव्य शामिल नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन दण्डनीय अपराध संज्ञेय होगा।

भ्रष्ट आचरण (धारा 141)

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित को भ्रष्ट आचरण में समझा जाएगा-

(i) तत्समय प्रवृत्त जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (केन्द्रीय अधिनियम 48, 1951) की धारा 123 के खंड (1) में यथा परिभाषित रिश्वत;

(ii) तत्समय प्रवृत्त उक्त धारा के खंड (2) में यथा परिभाषित अनुचित प्रभाव;

(iii) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा अथवा किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति के लिए उसके धर्म, प्रजाति, जाति समुदाय या भाषा के आधार पर मतदान करने या नहीं करने की अपील अथवा उस उम्मीदवार के निर्वाचित होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये अथवा किसी उम्मीदवार के निर्वाचन को प्रतिकूल रुप से प्रभावित करने के लिये धर्मिक प्रतीकों का उपयोग करने या उसकी दुहाई देने या राष्ट्रीय प्रतीकों, यथा राष्ट्रीय झंडा या राष्ट्रीय चिन्ह का उपयोग करने या दुहाई देने;

(iv) उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके चुनाव अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को बढ़ाने के लिये या किसी उम्मीदवार के चुनाव पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये धर्म, प्रजाति, जाति, समुदाय अथवा भाषा के आधार पर भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता और घृणा की भावनाओं को भड़काना या भड़काने का प्रयास करना,

(v) किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता द्वारा अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे तथ्यों के विवरण का प्रकाशन जो किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत चरित्र या आचरण के संबंध में अथवा किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी या उसकी वापसी के संबंध में मिथ्या हो और जिसे वह मिथ्या समझता हो या सही नहीं मानता हो, जो ऐसा विवरण हो जिसे उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिये सुविचारित ढ़ंग से तैयार किया गया हो,

(vi) उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता अथवा उम्मीदवार या उसके अभिकर्त्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चाहे भुगतान पर या अन्यथा किसी वाहन या जलयान को भाड़े पर लेना अथवा उसे प्राप्त करना या ऐसे वाहन या जलयान का इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार किसी मतदान केंद्र तक या उससे किसी मतदाता (स्वयं उम्मीदवार, उसके परिवार के सदस्य या उसके अभिकर्त्ता से भिन्न) के निःशुल्क परिवहन के लिए ऐसे वाहन या जलयान का उपयोग करना;

परन्तु किसी मतदाता द्वारा अपने खर्च पर किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिये नियत स्थान पर जाने या वहां से वापस लौटने के प्रयोजनार्थ किसी सार्वजनिक वाहन या जलयान या रेल का उपयोग इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण नहीं माना जायेगा,

स्पष्टीकरण – इस खंड में `यान` शब्द से अभिप्रेत है पथ परिवहन के प्रयोजनार्थ उपयोग में लाया गया या उपयोग में लाने योग्य कोई यान, चाहे यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चलता हो, चाहे उसका उपयोग अन्य यानों को खींचने के लिये या अन्यथा किया जाता हो।

(vii) किसी ऐसी बैठक का आयोजन जिसमें मादक द्रव्य की आपूर्त्ति की जाती हो,

(viii) निर्वाचन के प्रसंग में किसी ऐसे परिपत्र, विज्ञापन या इश्तहार का जारी किया जाना जिसपर इसके मुद्रणकर्त्ता और प्रकाशक का नाम और पता नहीं हो;

(ix) कोई अन्य आचरण जिसे राज्य सरकार निमय बनाकर भ्रष्ट आचरण विनिर्दिष्ट करे।

धारा 142 – भ्रष्ट आचरण के संबंध में आदेश– इस अधिनियम के अधीन निर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण के चलते किसी स्थानीय प्राधिकार की सदस्यता से पाँच वर्षों की अवधि के लिये निरर्हिता हो जायगी। इसकी गणना उस तारीख से की जायगी जिस तारीख से ऐसे आचरण के संबंध में विहित प्राधिकारी का निष्कर्ष इस अधिनियम के अधीन प्रभावी हो।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951
(भाग 2--संसद् के अधिनियम)

भाग 7

[1][भ्रष्ट आचरण और निर्वाचन अपराध]

[2][अध्याय 1--- भ्रष्ट आचरण

123. भ्रष्ट आचरण--निम्नलिखित इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भ्रष्ट आचरण समझे जाएंगे ---

[3][(1) " रिश्वत" अर्थात् :---

(अ) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा अथवा किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी व्यक्ति को, वह चाहे जो कोई भी हो, किसी परितोषण का ऐसा दान, प्रस्थापना या वचन, जिसका प्रत्यक्षतः या परतः यह उद्देश्य हो कि---

(क) किसी व्यक्ति को निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या न होने के लिए या अभ्यर्थिता [4][वापस लेने या न लेने के लिए], अथवा

(ख) किसी निर्वाचक को किसी निर्वाचन में मत देने के या मत देने से विरत रहने के लिए, उत्प्रेरित किया जाए,

अथवा जो---

(i) किसी व्यक्ति के लिए इस बात से वह इस प्रकार खड़ा हुआ या नहीं हुआ या उसने अपनी अभ्यर्थिता [5][वापस ले ली या नहीं ली], अथवा

(ii) किसी निर्वाचक के लिए इस बात के कि उसने मत दिया या मत देने से विरत रहा,

इनाम के रूप में हो,

(आ) (क) व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थिता [6][वापस लेने या न लेने के लिए] ; या

(ख) किसी व्यक्ति द्वारा, वह चाहे जो कोई हो; स्वयं अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतदान करने या मतदान करने से विरत रहने या किसी अभ्यर्थी को अभ्यर्थिता [6][वापस लेने या न लेने के लिए] उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिए,

चाहे हेतुक के रूप में या इनामवत् कोई परितोषण प्राप्त करना या प्राप्त करने के लिए करार करना ।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड के प्रयोजनों के लिए "परितोषण" पद धन रूपी परितोषणों या धन में प्राक्कलनीय परितोषणों तक ही निर्बन्धित नहीं है और इसके अन्तर्गत सब रूप के मनोरंजन और इनाम के लिए सब रूप के नियोजन आते हैं किन्तु किसी निर्वाचन में या निर्वाचन के प्रयोजन के लिए सद्भावपूर्वक उपगत और धारा 78 में निर्दिष्ट निर्वाचन व्ययों के लेखे में सम्यक् रूप से प्रविष्ट किन्हीं व्ययों के संदाय इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं ।]

(2) असम्यक् असर डालना, अर्थात् किसी निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता की या [7][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया कोई प्रत्यक्षतः या परतः हस्तक्षेप या हस्तक्षेप का प्रयत्न :

---

[1] 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 65 द्वारा "भ्रष्ट और अवैध आचरण और निर्वाचन अपराध" शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1956 के अधिनियम सं० 27 की धारा 66 द्वारा अध्याय 1 और 2 (123 से 125 तक की धाराओं) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[3] 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[4] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस लेने" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[5] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस ले ली" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[6] 1966 के अधिनियम सं० 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "वापस लेने के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[7] 1958 के अधिनियम सं० 58 की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।

परन्तु ---

(क) इस खण्ड के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसमें यथानिर्दिष्ट ऐसे किसी व्यक्ति की बाबत जो---

(i) किसी अभ्यर्थी या किसी निर्वाचक या ऐसे किसी व्यक्ति को, जिससे अभ्यर्थी या निर्वाचक हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति, जिसके अन्तर्गत सामाजिक बहिष्कार और किसी जाति या समुदाय से बाहर करना या निष्कासन आता है, पहुंचाने की धमकी देता है, अथवा

(ii) किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवी अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह ऐसे अभ्यर्थी या निर्वाचक के निर्वाचन अधिकार के स्वतंत्र प्रयोग में इस खण्ड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करता है ;

(ख) लोकनीति की घोषणा या लोक कार्रवाई का वचन या किसी वैध अधिकार या प्रयोगमात्र, जो किसी निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस खंड के अर्थ के अन्दर हस्तक्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

[1][(3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या मत देने से विरत रहने की अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपील या उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धार्मिक प्रतीकों का उपयोग या उनकी दुहाई या राष्ट्रीय प्रतीक तथा राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय संप्रतीक का उपयोग या दुहाई :

[2][परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अभ्यर्थी को आवंटित कोई प्रतीक इस खंड के प्रयोजनों के लिए धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक नहीं समझा जाएगा ।]

(3क) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शत्रुता या घृणा की भावनाएं भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर संप्रवर्तन या संप्रवर्तन का प्रयत्न करना ।]

[3][(3ख) किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए या किसी अभ्यर्थी के निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए सती की प्रथा या उसके कर्म का प्रचार या उसका गौरवान्वयन ।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सती कर्म" और सती कर्म के संबंध में "गौरवान्वयन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3) में हैं ।]

(4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में या किसी अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता या अभ्यर्थिता वापस लेने के सम्बन्ध में या अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे तथ्य के कथन का प्रकाशन जो मिथ्या है और या तो जिसके मिथ्या होने का उसको विश्वास है या जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है और जो उस अभ्यर्थी के [5]*** निर्वाचन की सम्भाव्यताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए युक्तियुक्त रूप से प्रकल्पित कथन है ।

(5) धारा 25 के अधीन उपबन्धित किसी मतदान केन्द्र या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन नियत स्थान को या से (स्वयं अभ्यर्थी, उसके कुटुम्ब के सदस्य या उसके अभिकर्ता से भिन्न) किसी निर्वाचक के [6][मुक्त प्रवहण के लिए किसी यान या जलयान को अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा] या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संदाय करके या अन्यथा, भाड़े पर लेना या उपाप्त करना अथवा [6][ऐसे यान या जलयान का उपयोग करना];

---

[1] 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 23 द्वारा (20-9-1961 से) खण्ड (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
[2] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्तःस्थापित ।
[3] 1988 के अधिनियम सं0 3 की धारा 19 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अन्तःस्थापित ।
[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा अन्तःस्थापित ।
[5] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा "या निर्वाचन लड़ने से हट जाने" शब्दों का लोप किया गया ।
[6] 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 53 द्वारा (14-12-1966 से) "प्रवहण के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

परन्तु यदि निर्वाचक या कई निर्वाचकों द्वारा अपने संयुक्त खर्चे पर अपने को किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को या से प्रवाहित किए जाने के प्रयोजन के लिए यान या जलयान भाड़े पर लिया गया है, तो यदि यान या जलयान यांत्रिक शक्ति से चालित न होने वाला है तो ऐसे यान या जलयान के भाडे, पर लिए जाने की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह भ्रष्ट आचरण है :

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे मतदान केन्द्र या मतदान के लिए नियत स्थान को जाने या वहां से आने के प्रयोजन के लिए अपने ही खर्चे पर किसी निर्वाचक द्वारा किसी लोक परिवहन यान या जलयान या किसी ट्राम या रेलगाड़ी के उपयोग की बाबत यह न समझा जाएगा कि वह इस खंड के अधीन भ्रष्ट आचरण है ।

स्पष्टीकरण--इस खण्ड में "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के लिए उपयोग में लाया जाता है या उपयोग में लाए जाने के योग्य है चाहे वह यांत्रिक शक्ति से या अन्यथा चालित हो और चाहे अन्य यानों को खींचने के लिए या अन्यथा उपयोग में लाया जाता हो ।

(6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना ।

(7) [1][किसी व्यक्ति से, चाहे वह सरकार की सेवा में हो या नहीं] और निम्नलिखित वर्गों , अर्थात् :---

(क) राजपत्रित आफिसरों,

(ख) साम्बलिक न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों,

(ग) संघ के शस्त्र बलों के सदस्यों,

(घ) पुलिस बलों के सदस्यों,

(ङ) उत्पाद-शुल्क आफिसरों,

[2][(च) राजस्व आफिसर, जो लंबरदार, मालगुजार पटेल, देशमुख के रूप में या किसी अन्य नाम से ज्ञात ग्राम राजस्व आफिसरों से भिन्न है, जिसका कर्तव्य भू-राजस्व संगृहीत करना है और जिनको पारिश्रमिक अपने द्वारा संगृहीत भू-राजस्व की रकम के अंश या उस पर कमीशन द्वारा मिलता है किंतु जो किन्हीं पुलिस कृत्यों का निर्वहन नहीं करते, और]

(छ) सरकार की सेवा में के ऐसे अन्य व्यक्ति वर्ग जैसे विहित किए जाएं,

[3][(ज) निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय, सरकारी कंपनी या संस्था या समुत्थान या उपक्रम की सेवा में नियुक्त या प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के वर्ग,]

में से किसी वर्ग में के किसी व्यक्ति से अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए (मत देने से अन्यथा) कोई सहायता अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा या [4][अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से] किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त या उपाप्त किया जाना या अभिप्राप्त या उपाप्त करने का दुष्प्रेरण या प्रयत्न करना :

[5][परंतु सरकार की सेवा में का और पूर्वोक्त वर्गों में से किसी वर्ग में का कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता, या उस अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता की सम्मति से कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के लिए या उसके संबंध में अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन या तात्पर्यित निर्वहन में (चाहे अभ्यर्थी द्वारा धारित पद के कारण या किसी अन्य कारणवश) कोई इंतजाम करता है या कोई सुविधा देता है या कोई अन्य कार्य या बात करता है तो ऐसा इंतजाम, सुविधा या कार्य या बात उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की संभाव्यताओं को अग्रसर करने के लिए सहायता नहीं समझी जाएगी ।]

[6][(8) अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा बूथ का बलात् ग्रहण ।]

स्पष्टीकरण--(1) निर्वाचन अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी बाबत यह ठहराया जाए कि उसने अभ्यर्थी की सम्मति से निर्वाचन के संबंध में अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है इस धारा में के "अभिकर्ता" पद के अन्तर्गत आते हैं ।

---

[1] 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 6 द्वारा (1-2-2010 से) प्रतिस्थापित ।

[2] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा उपखंड (च) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] 2009 के अधिनियम सं0 41 की धारा 6 द्वारा (1-2-2010 से) अंतःस्थापित ।

[4] 1958 के अधिनियम सं0 58 की धारा 36 द्वारा अंतःस्थापित ।

[5] 1975 के अधिनियम सं0 40 की धारा 8 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित ।

[6] 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 13 द्वारा (15-3-1989 से) अंतःस्थापित ।

(2) यदि किसी व्यक्ति ने अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता [1]*** के रूप में कार्य किया है, तो खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए उस व्यक्ति की बाबत यह समझा जाएगा कि उसने उस अभ्यर्थी के निर्वाचन की सम्भाव्यताओं को अग्रसर करने में सहायता दी है ।]

[2][(3) खण्ड (7) के प्रयोजनों के लिए, किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति को (जिसके अन्तर्गत किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासन के सम्बन्ध में सेवा करने वाला व्यक्ति भी है) या किसी राज्य सरकार की सेवा में के किसी व्यक्ति की नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का शासकीय राजपत्र में प्रकाशन---

(i) यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने का निश्चायक सबूत होगा, और

(ii) यहां, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति, पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने के प्रभावशील होने की तारीख ऐसे प्रकाशन में कथित है वहां इस तथ्य का भी निश्चायक सबूत होगा कि ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से नियुक्त किया गया था या पदत्याग, सेवा के पर्यवसान, पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की दशा में ऐसा व्यक्ति उक्त तारीख से ऐसी सेवा में नहीं रहा था ।]

[3][(4) खंड (8) के प्रयोजनों के लिए "बूथ का बलात् ग्रहण" का वही अर्थ है जो धारा 135क में है ।

भारतीय दंड संहिता (1860 का अधिनियम संख्यांक 45)

अध्याय 9-क

निर्वाचन सम्बन्धी अपराधों के विषय में

धारा 171 क. "अभ्यर्थी", "निर्वाचन अधिकार" परिभाषित- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिये-

[1][(क) "अभ्यर्थी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में नाम निर्देशित किया गया हो;]

(ख) "निर्वाचन अधिकार" से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रुप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थना से अपना नाम वापस लेने या मत देने या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है ।

धारा 171-ख. रिश्वत- (1) जो कोई-

(i) किसी व्यक्ति को इस उद्देश्य से परितोषण देता है कि वह उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को किसी निर्वाचन अधिकार का प्रयोग करने के लिये उत्प्रेरित करे या किसी व्यक्ति को इसलिये इनाम दे कि उसने ऐसे अधिकार का प्रयोग किया है; अथवा

---

1. 1975 के अधिनियम सं. 40 के द्वारा प्रतिस्थापित | दिनांक 6.8.1975 से प्रभावी |

(ii) स्वयं अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई परितोषण ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे किसी अधिकार को प्रयोग में लाने के लिये उत्प्रेरित करने या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करने के लिये इनाम के रुप में प्रतिगृहीत करता है,

वह रिश्वत का अपराध करता है

परन्तु लोकनीति की घोषणा या लोक- कार्यवाही का वचन इस धारा के अधीन अपराध न होगा ।

(2) जो व्यक्ति परितोषण देने की प्रस्थापना करता है या देने को सहमत होता है या उपाप्त करने की प्रस्थापना या प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण देता है ।

(3) जो व्यक्ति परितोषण अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने को सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करता है, यह समझा जाएगा कि वह परितोषण प्रतिगृहीत करता है और जो व्यक्ति वह बात करने के लिये जिसे करने का उसका आशय नहीं है, हेतु स्वरुप, या जो बात उसने नहीं की है उसे करने के लिये इनाम के रूप में परितोषण प्रतिगृहीत करता है, यह समझा जाएगा कि उसने परितोषण को इनाम के रुप में प्रतिगृहीत किया है ।

धारा 171-ग. निर्वाचनों में असम्यक् असर डालना- (1) जो कोई किसी निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में स्वेच्छया हस्तक्षेप करता है या हस्तक्षेप करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में असम्यक् असर डालने का अपराध करता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जो कोई-

(क) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को, या किसी ऐसे व्यक्ति को जिससे अभ्यर्थी या मतदाता हितबद्ध है, किसी प्रकार की क्षति करने की धमकी देता है, अथवा

(ख) किसी अभ्यर्थी या मतदाता को यह विश्वास करने के लिये उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करता है कि वह या कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, दैवीय अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का भाजन हो जाएगा या, बना दिया जाएगा,

यह समझा जाएगा कि वह उपधारा (1) के अर्थ के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थी या मतदाता के निर्वाचन अधिकार के निर्बाध प्रयोग में हस्तक्षेप करता है ।

(3) लोक नीति की घोषणा या लोक कार्यवाही का वचन या किसी वैध अधिकार का प्रयोग मात्र, जो किसी निर्वचन अधिकार में हस्तक्षेप करने के आशय के बिना है, इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत हस्क्षेप करना नहीं समझा जाएगा ।

धारा 171-घ. निर्वाचनों में प्रतिरुपण- जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से, चाहे वह जीवित हो या मृत, या किसी कल्पित नाम से, मत-पत्र के लिए आवेदन करता या मत देता है, या ऐसे निर्वाचन में एक बार मत दे चुकाने के पश्चात् उसी निर्वाचन में अपने नाम के मत-पत्र के लिए आवेदन करता है, और जो कोई किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे प्रकार से मतदान को दुष्प्रेरित करता है, उपाप्त करता है, या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह निर्वाचन में प्रतिरुपण का अपराध करता है :

[1][परंतु यह तब जबकि, इस धारा में का कुछ भी, उस व्यक्ति को लागू नहीं होगा, जिसको तत्समय प्रवृत किसी विधि के तहत, किसी मतदाता के लिए, परोक्षी के रुप में, मतदान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जहाँ तक, वह ऐसे मतदान के लिए एक परोक्षी के रुप में मतदान करता है ।]

धारा 171-ङ. रिश्वत के लिये दण्ड- जो कोई रिश्वत का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा : परन्तु सत्कार के रुप में रिश्वत केवल जुर्माने से ही दण्डित की जाएगी ।

स्पष्टीकरण- 'सत्कार' से रिश्वत का वह रुप अभिप्रेत है जो परितोषण, खाद्य, पेय, मनोरंजन या रसद के रुप में है ।

धारा 171-च. निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण के लिये दण्ड- जो कोई किसी निर्वाचन में असम्यक् असर डालने या प्रतिरुपण का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171-छ. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन- जो कोई निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के सम्बन्ध में तथ्य का कथन तात्पर्यित होने वाला कोई ऐसा कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, जो मिथ्या है, और जिसका मिथ्या होना वह जानता या विश्वास करता है अथवा जिसके सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है, वह जुर्माने से दण्डित किया जाएगा ।

धारा 171-ज निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय- जो कोई किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिये कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करेगा या करना प्राधिकृत करेगा, वह जुर्माने से जो पाँच सौ रूपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसे व्यय किये हों, जो कुल मिलाकर दस रुपये से अधिक न हो, उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसे व्यय किये गये हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर ले, तो यह समझा जायेगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किये हैं |

धारा 171-झ. निर्वाचन-लेखा रखने में असफलता- जो कोई किसी तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या विधि का बल रखने वाले किसी नियम द्वारा इसके लिए अपेक्षित होते हुए कि वह निर्वाचन में या निर्वाचन के सम्बन्ध में किए गए व्ययों का लेखा रखे, ऐसा लेखा रखने में असफल रहेगा, वह जुर्माने से, जो पाँच सौ रुपये तक हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा ।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 53)

अध्याय 10

अपराध और शास्तियां

51. बाधा डालने, आदि के लिए दंड—जो कोई, युक्तियुक्त कारण के बिना,—

(क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी अथवा राष्ट्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण अथवा जिला प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में बाधा डालेगा; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति या जिला प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से दिए गए किसी निदेश का पालन करने से इंकार करेगा,

तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा और यदि ऐसी बाधा या निदेशों का पालन करने से इंकार करने के परिणामस्वरूप जीवन की हानि होती है या उनके लिए आसन्न खतरा पैदा होता है, तो दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

52. मिथ्या दावे के लिए दंड—जो कोई जानबूझकर केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण या जिला प्राधिकरण के किसी अधिकारी से आपदा के परिणामस्वरूप कोई राहत, सहायता, मरम्मत, सन्निर्माण या अन्य फायदे अभिप्राप्त करने के लिए ऐसा दावा करेगा जिसके बारे में वह यह जानता है या यह विश्वास करने का उसके पास कारण है कि वह मिथ्या है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

53. धन या सामग्री आदि के दुरुपयोजन के लिए दंड—जो कोई, जिसे किसी आपदा की आशंका की स्थिति या आपदा में राहत पहुंचाने के लिए आशयित कोई धन या सामग्री सौंपी गई है या अन्यथा कोई धन या माल उसकी अभिरक्षा या अधिपत्य में है और वह ऐसे धन या सामग्री या उसके किसी भाग का दुरुपयोजन करेगा या अपने स्वयं के उपयोग के लिए उपयोजन करेगा अथवा उसका व्ययन करेगा या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने के लिए विवश करेगा, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी, दंडनीय होगा।

54. मिथ्या चेतावनी के लिए दंड—जो कोई, जिसे किसी आपदा या उसकी गंभीरता या उसके परिमाण के संबंध में आतंकित करने वाली मिथ्या संकट-सूचना या चेतावनी देता है, तो वह दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय होगा।

55. सरकार के विभागों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है वहां विभागाध्यक्ष ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही की जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध विभागाध्यक्ष से भिन्न किसी अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा अधिकारी उस अपराध का दोषी माना जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

56. अधिकारी की कर्तव्य पालन में असफलता या उसकी ओर से इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के प्रति मौनानुकूलता—ऐसा कोई अधिकारी, जिस पर इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन कोई कर्तव्य अधिरोपित किया गया है और जो अपने पद के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा या करने से इंकार करेगा या स्वयं को उससे विमुख कर लेगा तो, जब तक कि उसने अपने से वरिष्ठ अधिकारी की अभिव्यक्त लिखित अनुमति अभिप्राप्त न कर ली हो या उसके पास ऐसा करने के लिए कोई अन्य विधिपूर्ण कारण न हो, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, दंडनीय होगा।

57. अध्यपेक्षा के संबंध में किसी आदेश के उल्लंघन के लिए शास्ति—यदि कोई व्यक्ति धारा 65 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, अथवा दोनों से, दंडनीय होगा।

58. कंपनियों द्वारा अपराध—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी या निगमित निकाय द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे उल्लंघन के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

59. अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी—धारा 55 और धारा 56 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए कोई अभियोजन, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या ऐसी सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

60. अपराधों का संज्ञान—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित द्वारा परिवाद किए जाने पर करने के सिवाय नहीं करेगा,—

(क) राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या, यथास्थिति, उस प्राधिकरण या सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी या अधिकारी; या

(ख) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसने अभिकथित अपराध की और राष्ट्रीय प्राधिकरण, राज्य प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकरण या पूर्वोक्तानुसार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी या अधिकारी को परिवाद करने के अपने आशय की विहित रीति में कम-से-कम तीस दिन की सूचना दे दी है।

भाग - 7

Bihar Control of the use and Play of Loud Speakers Act, 1955

(Bihar Act 12 of 1955)

The following Act of the Bihar Legislature, having been assented to by the Governor on the 17th May, 1955, was published in the Bihar Gazette, Part IV, No. 5, dated the 8th June, 1955.

An Act to control the use and play of Loud-Speakers in the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixth Year of the Republic of India as follows :

1. Short title and extent. - (1) This Act may be called the Bihar Control of the Use and Play of Loud-Speakers Act, 1955.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

2. Definitions. - In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context.

(i) "Loud-speaker" means an instrument to augment small sounds, vocal instrument or recorded ; and

(ii) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

3. Restriction against use and play of loud-speakers. - No person shall use and play a loud-speaker-

(a) within such distance as may be prescribed from a hospital or from a building in which there is a telephone exchange; or

(b) within such distance as may be prescribed from any educational institution maintained, managed, recognised, or controlled by the State Government, a University established under any law for the time being in force, or a local authority or admitted to such University, or any hostel maintained, managed or recognised by such institution when such institution or hostel is in the use of students; or

(c) within such distance as may be prescribed from a building in which a Court held during the hour of working of such Court; or

(d) between the hour of 10 P.M. and 6 A.M. without the permission in writing of the prescribed authority:

Provided that the provision of clauses (b), (c) or (d) shall not apply to any local area other than a municipal area until a notification applying the provision to such local area has been published in the official Gazette by the State Government or the prescribed authority.

Explanation. - A 'municipal area' means any area constituted for the time being a municipality or a notified area under the Bihar and Orissa Municipal Act, 1922 (B. & O. Act VII of 1922)] and includes Patna] as defined in the Patna Municipal Corporation Act, 1951 (Bihar Act XIII of 1952).

4. Exemption. - Notwithstanding anything contained in clauses (a), (b) and (c) of section 3, a loud-speaker may be used and played with the permission in writing of the prescribed authority for any cultural, educational or humanitarian purposes connected with the maintenance of law and order.

5. Application for permission to use loud-speaker. - (1) Every application for permission under section 3 or 4 shall be made to the prescribed authority in the prescribed form and shall bear a court-fee stamp of one rupee:

Provided that no fees shall be charged for applications for the use and play of loud-speakers for humanitarian purposes or for purposes connected with the maintenance of law and order.

(2) The prescribed authority may grant or reject the application and, in granting such application, may impose any restriction or condition subject to which the applicant may use and play a loud-speaker.

6. Cognizance of offence under this Act. - No Magistrate shall take cognizance of an offence under this Act except on a complaint made by, or at the instance of, the person aggrieved by such offence or upon a report in writing made by any police officer:

Provided that nothing contained in this section shall affect the provisions of the [Code of Criminal Procedure, 1973] (2 of 1974), in regard to the powers of certain Magistrate to take cognizance of offences upon information received or upon their own knowledge.

7. Power to seize loud-speaker. - (1) Any police officer, not below the rank of assistant sub-inspector of police, who finds a person using and playing a loudspeaker in contravention of the provisions of this Act, may seize the loud-speaker.

(2) Such police-officer of any Court before which the loud-speaker is produced may release it in favour of any person claiming to be entitled to the possession thereof on his executing a bond with or without sureties, to the satisfaction of the police officer or the Court, engaging to produce the laud-speaker whenever called upon to do so.

8. Offences to be bailable. - An offence under this Act shall be bailable.

9. Penalty. - Any person who contravenes any of the provisions of this Act shall be punishable with imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to one hundred rupees or with both; and the Court trying such contravention may, on conviction of such person, direct that the loud-speaker seized under section 7 shall be forfeited to Government:

Provided that when the owner of the loud-speaker is a person other than the person convicted, the Court shall, before passing the order of forfeiture, give such owner a reasonable opportunity of showing cause, if any against such order.

10. Power to make rules - The State Government may, after previous publication in the official gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

11. Repeal - The Bihar Control of the Use and Play of Loud-Speakers Act, 1947 (Bihar Act XIII of 1950), is hereby repealed.

भाग - 8

PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1987

(Bihar Act 5 of 1987)

CONTENTS

Section Section
1. Short title, extent and commencement.
4. Offence to be cognizable
2. Definition 5. Power of State Government
to erase writing, etc.
3. Penalty for defacement of
property.
6. Act to override other Laws.

PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1987

(Bihar Act 5 of 1987)

[14th April, 1987]

An Act to provide, in the public interest for the prevention of Defacement of property and for matters connected therewith or incidental thereto

Be it enacted in the thirty- eighth year of the Republic of India by the Legislature of Bihar as follows:-

1. Short title, extent and commencement- (1) This Act may be called the Bihar Prevention of Defacement of Property Act, 1987

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definition:- In this Act, unless the context otherwise requires-

(a) "Defacement" includes impairing or interfering with the appearance or beauty or damaging, disfiguring, spoiling or injuring in any other way whatsoever:

(b) "Property" includes any building, structure, wall, tree, fence, post or any other erection;

(c) "Writing" includes decoration, lettering, ornamentation, etc produced by stencil.

3. Penalty for defacement of property- (1) Anybody, who deface any property in public view by writing or marking with ink, chalk, paint or any other material, except for the purpose of indicating the name and address of the owner or occupier of such property shall be deemed to have committed an offence under this Act and shall be punishable with imprisonment for term wich may extended to six months or with fine, which may extend to one thousand rupees, or with both.

(2) Where any offence committed under sub- section (1) is for the benefit of some other person or a company or body corporate or an association of persons (whether incorporated or not), then such other person or President, Chairman, Director, Partner, Manager, Secretary, agent or any other officer or person concerned the management thereof, as the case may be, shall, unless he proves that the offence was committed without his knowledge or consent be deemed to be guilty of such offence.

(3) The owner or the occupier of a private property, after giving written consent, may permit, any person or persons, contesting an election, to which the Representation of The People Act, 1951 is applicable, either as an independent candidate or on the symbol of a recognized political party, to use his private property for the purpose of election campaign during the period notified by

the Election Commission for the completion of the process of that election.

For the purpose of this sub- section private property means property which is owned or in lawful possession of a person or persons and is not used for any public purposes what so ever.

(Amendment in section-3 of the Act, Jharkhand Act,5, 1987- The new sub-section by Jharkhand Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act 2014 w.e.f notification dated 20.10.2014)

4. Offence to be cognizable- An offence punishable under this Act shall be cognizable.

5. Power of State Government to erase writing etc.- Without prejudice to provisions of Section 3, the State Governemnt shall be competent to take such steps, as may be necessary, for erasing any writing removing any defacement, removing any mark from any property.

6. Act to override other Laws.- The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.

निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 वैशाख 1932 (श0)
(सं0 पटना 297) पटना, बुधवार, 28 अप्रील 2010

विधि विभाग

अधिसूचनाएं
28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0-1-08/2010/लेज-144—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर राज्यपाल दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[बिहार अधिनियम 18, 2010]

बिहार सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन), अधिनियम 2010

बिहार सम्पति विरूपण निवारण अधिनियम 1985 का संशोधन करने के लिये अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ।—(1) यह अधिनियम बिहार सम्पति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. बिहार अधिनियम 5, 1987 की धारा–3 में संशोधन।—उक्त अधिनियम की धारा–3 की उप–धारा (2) के बाद निम्नलिखित एक नई उप–धारा (3) जोड़ी जायेगी :–

"(3) किसी सम्पति का स्वामी अथवा अधिभोगी, लिखित सहमति देने के पश्चात्, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो, वैसा चुनाव, जिन पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 लागू होता हो, चाहे स्वतंत्र प्रत्याशी के रूप में अथवा किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हो, अपनी निजी सम्पति का उपयोग, चुनाव में प्रचार करने के प्रयोजनार्थ, उस अवधि, में जो चुनाव आयोग द्वारा उस चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण होने हेतु अधिसूचित किया जाय, करने की अनुमति दे सकेगा ।

इस उप–धारा के प्रयोजनार्थ निजी सम्पति से अभिप्रेत है वैसी सम्पति जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के स्वामित्व अथवा वैध कब्जे में हो और किसी भी प्रकार से सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग नहीं किया जाता हो ।"

28 अप्रील 2010

सं0 एल0जी0 1-08/2010/लेज-145—बिहार विधान मंडल द्वारा यथा-पारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 24 अप्रील 2010 को अनुमत बिहार सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2010 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मजहर इमाम,
सरकार के प्रभारी सचिव।

[Bihar Act 18, 2010]

THE BIHAR PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY (AMENDMENT), ACT, 2010

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR PREVENTION OF DEFACEMENT OF PROPERTY ACT, 1985

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty one year of the Republic of India as follows :-

1. *Short title, extent and commencement* .—(1) This Act may be called the Bihar Prevention of Defacement of Property (Amendment) Act, 2010.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. *Amendment in section-3 of the Act, Bihar Act 5, 1987.*— The following new sub-section (3) shall be added after sub-section (2) of section-3 of the said Act :-

"(3) The owner or the occupier of a private property, after giving written consent, may permit, any person or persons, contesting an election, to which The Representation of The People Act 1951 is applicable, either as

an independent candidate or on the symbol of a recognized political party, to use his private property for the purpose of election campaign during the period notified by the Election Commission for the completion of the process of that election.

For the purpose of this sub-section private property means property which is owned or in lawful possession of a person or persons and is not used for any public purposes what so ever."

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 297-571+400-डी०टी०पी०।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग (9)

अभ्यर्थियों/प्रत्यशियों और सरकार के मार्गदर्शन हेतु ''क्या करें'' व ''क्या न करें''।

क्या करें –

1. चल रहे कार्यक्रम जारी रह सकेंगे ।
2. अनिश्चय की स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग से स्पष्टीकरण/ अनुमोदन प्राप्त करें।
3. बाढ, सूखा, महामारी और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के व्यक्तियों के लिये राहत व पुनर्वास संबंधी उपाय प्रारम्भ किए जाए और जारी रखे जायें।
4. गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को दी जा रही चिकित्सीय या नगद सुविधाएँ उचित अनुमति से जारी रखी जा सकती हैं।
5. निर्वाचन सभाओं के आयोजन के लिये सार्वजनिक स्थान, यथा मैदान निष्पक्ष रूप से सभी प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध होने चाहिये।
6. अन्य प्रत्याशियों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियॉ, कार्यक्रम, पुराने रिकार्ड और कार्य मात्र से संबंधित होनी चाहिये।
7. प्रत्येक व्यक्ति के शांन्तिपूर्ण और निर्विघ्न परिवारिक जीवन के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिये।
8. प्रस्तावित सभाओं के संबंध में स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस को समय रहते सूचित किया जाय और सभी आवश्यक अनुमति भी प्राप्त की जाय।
9. यदि प्रस्तावित सभा के स्थान पर प्रतिबंधात्मक या निषेधात्मक आदेश लागू हो, तो उनका पूरी तौर पर पालन किया जाय। यदि छूट आवश्यक हो तो उसके लिये आवेदन अवश्य किया जाय और समय रहते उसे प्राप्त कर लिया जाय।
10. प्रस्तावित सभा के लिये लाउडस्पीकरों या इसी प्रकार की अन्य सुविधाओं के प्रयोग के लिये अनुमति अवश्य ली जाय।
11. बैठक में गडबडी या अन्य प्रकार से अव्यवस्था फैलाने वाले तत्वों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता प्राप्त की जाय।
12. किसी भी जुलूस के शुरू होने का समय व स्थान, वह किस मार्ग से होकर जायेगा और किस समय और स्थान पर जुलूस समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस प्राधिकारियों से अग्रिम रूप से अनुमति ले लेनी चाहिये।
13. जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहॉ पर लागू निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाय और पूरी तरह से उनका अनुपालन किया जाय। साथ ही यातायात नियमों और प्रतिबंधों का भी अनुपालन किया जाय।
14. जुलूस का रास्ता ऐसा होना चाहिये जिससे यातायात में कोई बाधा न पड़े।
15. शांतिपूर्ण और व्यवस्थित मतदान के लिये निर्वाचन कर्मचारियों से हमेशा ही सहयोग किया जाय।
16. कार्यकर्त्ताओं द्वारा बिल्ले या पहचान पत्रों को अवश्य प्रदर्शित करना चाहिये।
17. मतदाताओं को जारी पहचान पर्ची सादे (सफेद) कागज की होनी चाहिए। जिस पर अभ्यर्थी का नाम या प्रतीक नहीं होना चाहिये।
18. मतदान के दिन वाहन चलाने पर प्रतिबंधों का पूर्णरूपेण पालन किया जाय।
19. राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त वैध प्राधिकार पत्र वाले व्यक्ति ही किसी मतदान केन्द्र पर किसी भी समय प्रवेश कर सकते है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना भी उच्चपदासीन हो (मुख्य मंत्री, मंत्री, सांसद सदस्य या विधायक आदि) इस मामले का अपवाद नहीं हो सकते, सिवाय कि वे संबंधित मतदान केन्द्र पर अपना मत देने के लिये जा सकेंगे।

20. निर्वाचनों के संचालन में कोई शिकायत या समस्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षकों/ रिटर्निंग आफिसर/ जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेट/ राज्य निर्वाचन आयोग की जानकारी में लायी जाय।

21. निर्वाचन के विभिन्न पहलूओं से संबंधित सभी मामलों में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत आदेश/ निदेश/ दिशा-निर्देश का अनुपालन निर्वाची पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) द्वारा किया जायेगा।

22. उम्मीद्वारों, समर्थकों एवं निर्वाचन से जुडे सभी व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन कार्य यथा नामांकण, सभा, नुक्कड़ सभा आदि में केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से संबंधित दिशा-निर्देशों (यथा सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क, गल्ब्स, हैंड सेनिटाइजर का प्रयोग इत्यादि) का अनुपालन किया जाएगा।

क्या ना करें –

1. सरकारी वाहनों या कार्मिकों या मशीनों/उपकरणों का उपयोग चुनाव प्रचार संबंधी कार्यो में नहीं किया जायेगा। सरकारी वाहनों में (क) ट्रक (ख) लारी (ग) टैम्पो (घ) जीप (ङ) कार (च) ऑटो रिक्शा (छ) बस (ज) नाव और निम्नलिखित से संबंध रखने वाले अन्य सभी वाहन शामिल है।
   - (i) केन्द्र सरकार
   - (ii) राज्य सरकार
   - (iii) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम
   - (iv) केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त क्षेत्र के उपक्रम
   - (v) स्थानीय निकाय
   - (vi) नगर निगम
   - (vii) नगरपालिकायें
   - (viii) विपणन बोर्ड (चाहे वह किसी भी नाम से जाने जाय)
   - (ix) स्वायत्तशासी जिला परिषदें अथवा
   - (x) कोई अन्य निकाय जिसमें सार्वजनिक निधि का एक भाग चाहे कितना भी क्यो न हो, निवेश किया गया हो।
2. किसी भी वित्तीय अनुदान की घोषणा, आधारशिला रखना, नई सड़कों आदि के निर्माण कार्य का वचन देना आदि न करें।
3. सरकारी/ सार्वजनिक उपक्रमों में कोई तदर्थ नियुक्तियाॅ न करें।
4. कोई भी मंत्री किसी मतदान केन्द्र या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगें, जब तक कि वह स्वयं प्रत्याशी न हो या सिर्फ मतदान करने वाले मतदाता न हो।
5. सरकारी कार्य के साथ चुनाव प्रचार/ चुनावी दौरा को कतई नहीं जोड़ा जायेगा।
6. वित्तीय अथवा अन्यथा कोई प्रलोभन मतदाता को नहीं दिया जाय।
7. निर्वाचकों के जातीय/ साम्प्रदायिक भावनाओं को उद्वेलित नहीं करना चाहिये।
8. ऐसा कोई कार्य न करें जिसे मौजूदा मतभेदों को बढावा मिले या आपस में घृणा पैदा हो अथवा विभिन्न जातियों, समुदायों अथवा धार्मिक या भाषायी समूहों में तनाव उत्पन्न हो।
9. दूसरे प्रत्याशियों के कार्यकत्ताओं की निजी जिन्दगी के किसी भी पहलू पर जिसका सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध न हो, टीका टिप्पणी की अनुमति न दी जाय।
10. असत्यापित आरोपों अथवा मिथ्या वर्णनों के आधार पर दूसरे प्रत्याशियों या उनके कार्यकत्ताओं पर टीका टिप्पणी न की जाय।
11. मंदिरों, मस्जिदों, गिरजा घरों, गुरूद्वारों या पूजा का कोई भी स्थान भाषण, पोस्टर, संगीत आदि समेत निर्वाचन प्रचार हेतु इस्तेमाल न किये जायें।

12. कदाचार अथवा निर्वाचन अपराधों संबंधित गतिविधियाँ यथा घूसखोरी, मतदाता पर अनुचित प्रभाव, अभित्रास; प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि में प्रचार मतदान के लिये नियत समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्वजनिक सभाएँ करना और मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाना और वहाँ से ले जाना निषिद्ध है।
13. व्यक्तियों के मकानों के सामने उनके विचारों और कार्यो के विरोध में प्रदर्शन करने या धरना देने का कार्य न करें।
14. किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी/सरकार के उपक्रमों की जमीन, इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा/बैनर लगाने, पोस्टर/नोटिस चिपकाने नारे आदि लिखने के प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है।
15. दूसरे अभ्यर्थियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों में व्यवधान पैदा न करें।
16. उन स्थानों के पास जहाँ किसी प्रत्याशी द्वारा सभायें आयोजित की जा रही हो, दूसरे प्रत्याशी जुलूस न निकाले।
17. जुलूस में भाग लेने वालों को ऐसी वस्तुएँ नहीं ले जानी चाहिये जिनका अस्त्र या शस्त्र के रूप में दुरूपयोग किया जा सकता हो।
18. दूसरे प्रत्याशियों द्वारा जारी पोस्टरों को हटाया या विरूपित नही किया जाय।
19. मतदान के दिन पहचान पर्चियों के वितरण के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले स्थानों पर या मतदान केन्द्रो के निकट, झण्डों प्रतीकों या अन्य प्रचार सामग्री का प्रदर्शन नहीं किया जाय।
20. स्थाई अथवा गतिशील वाहनों पर लगे लाउडस्पीकरों एवं हैंड माइक का प्रयोग सुबह 6 बजे से पहले या रात को 10 बजे के बाद और संबंधित प्राधिकार की बिना पूर्व लिखित अनुमति के न किया जाय।
21. संबंधित प्राधिकार की पूर्व लिखित अनुमति लिये बिना लाउडस्पीकरों का प्रयोग सार्वजनिक सभाओं में भी नहीं किया जायगा। सामान्यतः ऐसी सभाओं/ जुलूसों की अनुमति रात 10.00 बजे बाद नहीं दी जायेगी और यह पुनः स्थानीय कानूनों, उस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था के स्थानीय अवबोधनों, और अन्य संबंधित बातों जैसे मौसम की स्थिति, त्योहार के मौसम, परीक्षा समय आदि के अध्यधीन होगा।

टिप्पणी; उपर्युक्त सूची मात्र उदाहरणात्मक है, विस्तृत तथा अंतिम नहीं है तथा उपर्युक्त विषय पर निर्गत किसी अन्य विस्तृत आदेशों/ निदेर्शो/ अनुदेशों को प्रतिस्थापित करने के निमित्त नहीं है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

ज्ञापांक -पं.नि/30-90/2021 - 3146 पटना, दिनांक - 17.08.2021

निदेशानुसार प्रतिलिपि मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत) को सूचनार्थ प्रेषित। पंचायत आम निर्वाचन, 2021 की अधिसूचना निर्गत की तिथि से सभी जिलों के पंचायत निकाय क्षेत्रों में आर्दश आचार संहिता प्रभावी हो जाएगी। कृपया जनसम्पर्क विभाग एवं स्वयंसेवी संस्थाओं आदि के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराने की कृपा की जाये।

सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

D:\pm7\Pch_M_code of conduct NN

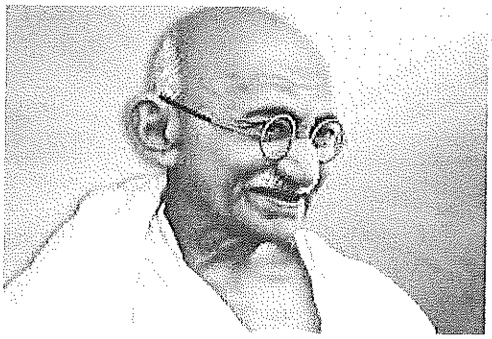

"अगर हिन्दुस्तान के हर एक गाँव में कभी पंचायती राज
कायम हुआ, तो मै अपनी इस तस्वीर की सच्चाई साबित कर
सकूंगा - जिसमें सबसे पहला और सबसे आखरी दोंनो बराबर होंगे
या यों कहिये की न तों कोई पहला होगा, ना आखिरी।

महात्मा गाँधी"